BCCI BULLETIN

Vol. XXXXX | August 2019 | No. 08

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

73वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह

ध्वजारोहण के पश्चात तिरंगे को सलामी देते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं चैम्बर के सदस्यगण

चैम्बर प्रांगण में दिनांक 15 अगस्त 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन द्वारा राष्ट्रध्वज फहराकर 73वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सम्मानित सदस्यगण काफी संख्या में उपस्थित थे।

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल, बिहार से मिला

महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री फागू चौहान को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 3 अगस्त 2019 को अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में राज्य के नव नियुक्त महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री फागू चौहान जी से राज भवन में शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें शुभाकमना दिया एवं विश्वास व्यक्त

अध्यक्ष की कलम से......

प्रिय बन्धुओं,

पटना के अतिक्रमण, जलजमाव, सीवरेज, पार्किंग, ट्रैफिक जाम आदि जन समस्याओं के मुद्दे पर हाईकोर्ट, पटना के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. पी. शाही तथा न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खण्डपीठ ने दिनांक 27 जुलाई 2019 (शनिवार) को एक साथ सुनवाई की और संबंधित वरीय अधिकारियों को कई आदेश दिये। माननीय कोर्ट ने यह माना कि विभागों के आपसी सामंजस्य की कमी के कारण कई योजनाएँ अधर में रह जाती है। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक समन्वय समिति बनाकर उसमें तकनीकी विशेषज्ञों को रखने को कहा ताकि जन समस्याओं के समाधान में कोई अड़ंगा न लगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि तात्कालिक नहीं स्थाई समाधान तलाशें।

अगर ऐसी अदालतें लगती रही तो पटना की जन समस्याएँ काफी हद तक दूर हो जायेंगी।

28 जुलाई 2019 को कन्फेडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, बिहार ईकाई द्वारा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभागार में एक व्यापार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महामंत्री सहित कई अधिकारी एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मैं भी उक्त संगोष्ठी में आमंत्रित था। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि व्यापारियों एवं उद्यमियों को आज के बदले हुए परिवेश में ऑन लाईन व डिजिटल होना होगा, अन्यथा भविष्य में हमारा व्यापार खतरे में पड़ सकता है।

3 अगस्त 2019 को मेरे नेतृत्व में चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल नवनियुक्त महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री फागू चौहान से मिला एवं उन्हें शुभकामनाएँ दी और विश्वास व्यक्त किया कि उनके मार्गदर्शन में राज्य के आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण की गति तीव्र होगी। क्योंकि महामहिम का औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों का वृहत अनुभव रहा है। महामहिम से चैम्बर में पधारने का भी आग्रह किया गया। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल तथा महामंत्री श्री अमित मुखर्जी भी शामिल थे।

11 अगस्त 2019 को डीडीएल वुड्स, बिहटा के प्रांगण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय पूर्व केन्द्रीय मंत्री–सह–पाटलीपुत्र सांसद श्री राम कृपाल यादव मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर मैं भी आमंत्रित था। बिहार वन संरक्षण के निदेशक श्री एस. एस. चौधरी, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, डीडीएल इन्फ्राटेक के निदेशक श्री शिव कुमार सिंह भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में फलदार एवं छायादार पौधे भी लगाए गये तथा वक्ताओं ने कहा कि मानव जीवन की रक्षार्थ ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाया जाये। साथ ही घटते भूमिगत जल स्रोत हेतु जल संरक्षण पर भी सचेष्ठ होने की आवश्यकता बताई।

चैम्बर में 15 अगस्त 2019 को 73वाँ स्वतंत्रता समारोह मनाया गया। चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ0 जगन्नाथ मिश्र का निधन दिनांक 19 अगस्त 2019 को हो गया। वे सिर्फ कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि महान अर्थशास्त्री भी थे। उनका निधन राज्य के लिए बड़ी क्षति है। वे तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने बिहार के चहुंमुखी विकास हेतु कई महत्वपूर्ण एवं अहम निर्णय लिये। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें एवं परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

दिनांक 22 अगस्त 2019 को SLBC की 69वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी भी इस बैठक मे उपस्थित थे। उक्त बैठक में शामिल होकर मैंने RBI के Guidelines के विपरीत NEFT में बैंकों द्वारा शुल्क लिये जाने, बैंको द्वारा व्यापारियों से सिक्के जमा नहीं लेने के चलते व्यापार में आ रही कठिनाई तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बिहार के उद्योगों के 50 करोड़ से अधिक के लेन–देन वाले खातों को कोलकता, दिल्ली एवं मुम्बई ट्रांसफर करने के गंभीर मामले को उठाया और कहा कि इससे बिहार के औद्योगिकरण भी प्रभावित होगा।

देश के कई राज्यों में बाढ़ की विभिषिका के चलते काफी लोग असमय काल की गाल में समा गये और अधिकांश लोग बाढ़ की त्रासदी झेलने को विवश हैं। उनके घर, कारोबार तथा जान–माल की काफी क्षति हुई है। केन्द्र एवं राज्य सरकारें उनके राहत कार्य में अपना काम कर रही है फिर भी हमलोगों की संवेदना बाढ़ की विभिषिका में फंसे लोगों एवं उनके परिवारों के प्रति है।

सादर,

आपका

पी. के. अग्रवाल

पृष्ठ 1 का शेष...

किया कि उनके मार्गदर्शन में राज्य के आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण की गति और तेज होगी क्योंकि आपका औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों का लम्बा अनुभव है। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री एन0 के0 ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल तथा महामंत्री श्री अमित मुखर्जी थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल को चैम्बर के स्थापना काल से अब तक की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों का संकलन, चैम्बर का कॉफी टेबल बुक समर्पित किया गया।

महामहिम ने चैम्बर की गतिविधियों के संबंध में श्री अग्रवाल से जानकारी चाही जिस पर उन्होंने चैम्बर द्वारा राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय के लिए किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया साथ ही बताया कि चैम्बर न केवल राज्य के उद्योग एवं आर्थिक विकास के लिए कार्य करता हैं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़–चढ़ कर भाग लेता है। अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के तहत महिलाओं को निःशुल्क सिलाई–कटाई, कम्प्यूटर एवं ब्यूटिशियन कोर्स का प्रशिक्षण दे रहा है जिससे कि महिलाएं स्वाबलम्बी बन सकें।

श्री अग्रवाल ने महामहिम राज्यपाल से राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को अपने आर्शीवचनों से उत्साहवर्द्धन हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में पधारने का आग्रह किया जिस पर उन्होंने 15 अगस्त के बाद चैम्बर पधारने का आश्वासन दिया है।

चैम्बर अध्यक्ष डीडीएल वुड्स, बिहटा के प्रांगण में आयोजित वन महोत्सव में हुए सम्मिलित

वन महोत्सव में उपस्थित माननीय पूर्व केन्द्रीय मंत्री–सह–सांसद श्री राम कृपाल यादव, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं विक्रम के पूर्व विधायक श्री अनिल कुमार

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

11 अगस्त 2019 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा डीडीएल वुड्स, बिहटा के प्रांगण में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय पूर्व केन्द्रीय मंत्री–सह– पाटलीपुत्र सांसद श्री राम कृपाल यादव मुख्य अतिथि थे। बिहार वन संरक्षण के निदेशक श्री एस.एस. चौधरी, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय सांसद श्री राम कृपाल यादव ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। इनके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि देश के करीब 30 प्रतिशत स्थानों में भूमिगत जल तेजी से खत्म हो रहा है। जल की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया है।

बिहार वन एवं संरक्षण विभाग के निदेशक श्री एस.एस. चौधरी ने कहा कि पेड़ों की अंधाधुन्ध कटाई से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के संरक्षक हैं। पर्यावरण की रक्षा एवं संतुलन बनाये रखने हेतु हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। भूमिगत जल श्रोत भी घटता जा रहा है। हमें जल संरक्षण हेतु भी उतना ही सचेष्ट होने की आवश्यकता है।

डीडीएल इन्फ्राटेक के निदेशक श्री शिव कुमार सिंह ने कहा कि अभी हम पर्यावरण के प्रति जागृत नहीं हुए तो हमारी आनेवाली पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस अवसर पर 1500 फलदार एवं छायादार पौधे लगाये गये।

कन्फेडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के बिहार इकाई द्वारा आयोजित व्यापार संगोष्ठी में चैम्बर अध्यक्ष शामिल हुए

व्यापार गोष्ठी को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बॉयी ओर क्रमशः कैट (बिहार इकाई) के चेयरमैन श्री कमल नोपानी, कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी. सी. भरतीया, राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रवीण खण्डेलवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बृजमोहन अग्रवाल, कैट (बिहार इकाई) के अध्यक्ष श्री अशोक वर्मा, कैट (बिहार इकाई) के महामंत्री डॉ रमेश गॉधी एवं कैट प. बंगाल इकाई के अध्यक्ष श्री राजा रॉय।

कन्फेडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के बिहार इकाई द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2019 को चैम्बर के सभागार में एक व्यापार संगोष्ठी आयोजित हुई। उक्त बैठक मे कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी. सी. भरतीया, राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खण्डेलवाल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री बृज मोहन अग्रवाल, सोशल मीडिया संयोजक श्री सुमित अग्रवाल, कैट के बिहार इकाई के चेयरमैन श्री कमल नोपानी, अध्यक्ष श्री अशोक कुमार वर्मा, महासचिव डॉ. रमेश गाँधी सहित कई व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल विशेष रूप से आमंत्रित थे। उन्हें बूके, मेमेन्टो एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खण्डेलवाल ने कहा कि कैट की स्थापना 1990 में हुई थी। आज देश भर में

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी. सी. भरतीया को शॉल एवं मेमेन्टो भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में कैट के राष्ट्रीय एवं बिहार इकाई के पदाधिकारीगण

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को शॉल एवं मेमेन्टो भेंट कर सम्मानित करते कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी. सी. भरतीया। साथ में कैट के राष्ट्रीय एवं बिहार इकाई के पदाधिकारीगण

सात करोड़ व्यापारी कैट के सदस्य हैं। कैट मुख्यतः सरकार एवं व्यापारियों के बीच सामंजस्य का काम करता है। सरकार से व्यापारियों की सुविधा हेतु कैट ने कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) की स्थापना की है जो व्यापारियों के हर समस्या के समाधान के अतिरिक्त बिना गारंटी लोन दिलाती है। इसके लिए HDFC बैंक के साथ कैट का एक समझौता हुआ है। श्री खण्डेलवाल ने आगे कहा कि बदले हुए परिवेश में व्यापारियों को ऑनलाईन व डिजिटल होना है, अन्यथा हमें व्यापार से बाहर होने का खतरा हमेशा रहेगा।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि इण्डस्ट्रीज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ASSOCHAM, CII, FICCI आदि कई चैम्बर हैं परन्तु व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कैट ही एक संगठन है जो व्यापारियों के हित में कार्य करता है । उन्होंने प्रवीण खण्डेलवाल जी को स्मरण दिलाया कि पूर्व में बिहार चैम्बर के प्रांगण में आप के साथ दिनांक 16 फरवरी 2013 को एक बैठक हुई थी। चैम्बर सदैव व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करता है। कैट के व्हाट्स–एप ग्रुप में खण्डेलवाल जी ने मुझे जोड़ा हुआ है जिससे कैट की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी मुझे मिलती रहती है।

श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार ने जीएसटी में काफी सुधार किया है। भविष्य में व्यापारियों को व्यापार में प्रगति हेतु नई तकनीक पर आधारित व्यापार करना ही होगा। समस्याओं के समाधान के लिए कैट एवं चैम्बर अपने स्तर पर हर संभव सहयोग के लिए कृत संकल्पित है।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी. सी. भरतीया ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को ई–कॉमर्स की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ई–कॉमर्स ही अब व्यापारियों का भविष्य है। व्यापारियों को संगठित होने की आवश्यकता है। बिहार ईकाई के चेयरमैन श्री कमल नोपानी ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में व्यापारियों को संगठित करने का काम जोर–शोर से चल रहा है। उनकी समस्याओं के समाधान हेतु हम सचेष्ट हैं और कैट को अवगत कराते रहते हैं। संगोष्ठी में अनेक व्यवसायियों ने अपनी समस्याएँ बताई जिसका समाधान कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महामंत्री ने किया।

कार्यक्रम को चैम्बर के श्री राजेश खेतान एवं श्री आलोक पोद्दार ने भी संबोधित किया ।

कार्यक्रम का संचालन कैट के बिहार इकाई के महामंत्री डॉ. रमेश गाँधी ने किया।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार की 69वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक में चैम्बर अध्यक्ष सम्मिलित हुए

एसएलबीसी की बैठक में मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री एम. के. जैन, एस.बी.आई. के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीण गुप्ता एवं अन्य

दिनांक 22 अगस्त 2019 को होटल मौर्या, पटना में श्री नीतीश कमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार की 69वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में माननीय उप–मुख्य–सह–वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, आर.बी.आई. के डिप्टी गवर्नर श्री एम. के. जैन, एस.बी.आई. के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीण गुप्ता, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के माननीय मंत्रीगण एवं विभिन्न बैंकों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

उक्त बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने RBI के आदेश के

एसएलबीसी की बैठक को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

बावजूद NEFT में बैंको द्वारा चार्ज लिया जाना, बैंकों द्वारा व्यापारियों सहित आम नागरिकों के सिक्कों का जमा नहीं लिया जाना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 50 करोड़ रूपये से अधिक के लेन–देन वाले बिहार के खातों को दिल्ली, कोलकता एवं मुम्बई ट्रांसफर किये जाने जैसे गंभीर मामले को प्रमुखता से उठाया और कहा कि बिहार का औद्योगीकरण प्रभावित होगा।

Nitish Rues Low CD Ratio in state

Chief minster Nitish Kumar on Thursday 22 August 2019 rued the low of credit deposit ratio of the state at 45% as compered to the national average of 72% at the 69th SLBC meeting on Thursday. He drew the attention of the bankers to this and emphasised that the people of the state relied on banks and prefer depositing their money in banks. He also asked the bankers to increase loaning activity in the state.

The agenda paper of the meeting prepared by the bankers also noted, "It is worth mentioning that the CD ratio of the state stood at 45.5% as at the end of June, 2019 which could have improved further ."

Deputy CM Sushil Kumar Modi said loaning activities were generally low during the first quarter, and accordingly the bankers should strive to achieve more then 90% of the annual credit plan target worth Rs. 145 lakh crore by the end of the current fiscal.

The parliamentary elections were on and the model code of conduct of the Election Commission was in force from February onwards till may end covering most of the first quarter of the current fiscal.

It emerged at the meeting that loaning activities were poor in five districts- Banka, Jehanabad, Sheoher, Madhubani and Gopalganj- and they were at the bottom five of the state's 38 districts. It was felt that a good performance would have increased the C-D ratio.

Discussion with the DMs of Jahanabad, Gopalganj and Madhubani through video conferencing showed that the problems were rooted in the lack of updated land records showing property rights in land , as a result of which farmers and others concerned were not able to produced required land procession certificate (LPC), which in turn blocked loan disbursement to the farmers through Kisan Credit Cards.

Finance department principal secretory Siddharth told bankers that there were 282 branches of various banks which had been ranked as "the most poor performing branches of banks in the state," as they were lax in implementing the ACP. Modi asked the bankers to go deep into the causes of the "poor performance" of the bank branches, including 282 of them, and present a detailed report on it at the next meeting of the SLBC.

Source: Tomes of India 23-08-19

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्रा के निधन से चैम्बर शोकाकुल

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने अर्थशास्त्री एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा के दिनांक 19 अगस्त 2019 को हुए निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि स्व. मिश्रा अर्थशास्त्री के साथ–साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनका निधन राज्य के लिए एक बड़ी क्षति है। ये बिहार के तीन बार मुख्यमंत्री रहे और अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राज्य के चहुँमुखी विकास के लिए कई अहम निर्णय लिए ।

श्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री बनने के पूर्व स्व. मिश्रा ने बिहार विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें एवं उनके शोक संतप्त परिवार को हुई इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति दें।

सार्वजनिक बैंकों मे बिहार से नामित निदेशक नहीं

बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों से किसी प्रतिनिधि को नहीं लिया गया है

देश के सार्वजनिक बैंकों में बिहार से एक भी नामित निदेशक नहीं है। जबकि बिहार से काफी छोटे राज्यों से सार्वजनिक बैंकों में कई नामित निदेशक हैं। वर्तमान समय में सार्वजनिक बैंकों में केंद्र सरकार की ओर से लगभग 41 पब्लिक प्रतिनिधि निदेशक के रूप में नियुक्त हैं।

बिहार में सार्वजनिक बैंकों और निजी बैंक मिलकर 35 बैंक मौजूद हैं। इनमें 20 सार्वजनिक बैंक शामिल हैं। दिल्ली के 14, मुंबई के 6, बेंगलुरु के 6, कोलकाता के 2, चेन्नई के एक हैदराबाद के 2, अहमदाबाद के 2, उड़ीसा के 2, पुणे के 2 तथा बड़ौदा अमृतसर मदुरई व नैनीताल के एक–एक प्रतिनिधि हैं। लेकिन बिहार राज्य जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों से किसी प्रतिनिधि को नहीं लिया गया है।

इसी तरह वर्तमान में देश में 20 सार्वजनिक बैंक हैं। जिन का मुख्यालय देश के बड़े नगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, बड़ौदा, मैंगलोर और मणिपाल में है। जिसमें दिल्ली में 3, मुंबई से 6, कोलकाता में 3, चेन्नई में 2, बेंगलुरु में 2, और हैदराबाद पुणे बड़ौदा मैंगलोर तथा मणिपाल में एक एक मुख्यालय है। लेकिन बिहार में किसी बैंक का मुख्यालय नहीं है।

आर्थिक और व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभाव

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक बैंकों का कम से कम एक मुख्यालय सूबे में स्थापित करने तथा सार्वजनिक बैंकों में बिहार से भी निदेशक नामित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक बैंकों में सरकार के द्वारा जो पब्लिक प्रतिनिधि निदेशक के रूप में नामित होते हैं। उसमें देश के बड़े शहरों के हैं। अग्रवाल ने बताया कि बिहार में सार्वजनिक बैंक का मुख्यालय नहीं होने व प्रतिनिधित्व के अभाव होने के कारण आम जनता के साथ–साथ बिहार के आर्थिक विकास की बहुत सारी समस्याओं व सुझावों से बैंक अवगत नहीं हो पाता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव सूबे के औद्योगिक, आर्थिक व व्यवसायिक गतिविधियों पर पड़ता है। साभार- प्रभात खबर 06.08.2019

स्टार्टअप के लिए आयकर नियमों में ढील

आयकर विभाग ने स्टार्टअप कंपनियों को राहत देते हुए उनके आकलन और जांच नियमों में छूट देने का फैसला किया है। विभाग ने एक परिपत्र में अपने अधिकारियों को उन स्टार्टअप कंपनियों से अतिरिक्त कर मांग नहीं करने का निर्देश दिया है, जिन्हें उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपी आईआईटी) से मान्यता प्राप्त है। यह छूट उन मामलों में लागू होगी जहां जांच आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (7वीं) तक सीमित है। जिसे आम बोलचाल में एंजेल टैक्स कहा जाता है। बिज़नेस- बिजनेस स्टैंडर्ड 09.08.2019

चिटफंड में छोटे निवेशकों का पक्ष भी सुनना होगा

जमा रकम देने या अन्य फैसलों में छोटे निवेशक हिस्सेदार होंगे

केंद्र सरकार ने चिटफंड कारोबार को व्यवस्थित करने और छोटे गरीब निवेशकों के संरक्षण के लिए कानून में संशोधन करने का फैसला किया है। नया कानून बनने के बाद चिटफंड कंपनियां जमा रकम किसी को देने का फैसला मनमाने तरीके से नहीं कर सकेंगी और ऐसी बैठक में दो छोटे निवेशकों की मौजूदगी जरूरी होगी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने इससे जुड़ा संशोधन बिल लाने को मंजूरी दे दी है। जावड़ेकर ने कहा कि संसद में मौजूदा सत्र में ही 1982 के चिटफंड एक्ट में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाएगा। धोखाधड़ी और घोटाले के कारण चिटफंड कंपनियों के बदनाम होने के कारण ऐसी कंपनियों को अब रोस्का इंस्टीट्युशन (रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन) के नाम से जाना जाएगा। इससे चिटफंड कंपनियों को अपनी छवि सुधारने में मदद मिलेगी। इसमें प्रावधान है कि कोई भी निवेशक एक की जगह तीन लाख तक निवेश कर सकेगा और कंपनियों के लिए यह सीमा 3 लाख की जगह 18 लाख होगी। चिटफंड के मुखिया का कमीशन भी पांच से बढ़ाकर 7 फीसदी किया जाएगा। वे छोटे निवेशक की बकाया रकम को एडजस्ट कर सके और फंड से पूंजी निकाल चुके अंशधारक को असम्बद्ध किया जा सके। इससे चिटफंड स्कीम के डिफाल्टर और पूंजी डूबने का खतरा कम होगा। चिटफंड के अधिकतम कितनी पूंजी इकट्ठा की जा सकेगी किसको तय करने का अधिकार राज्य को दिया जाएगा। विस्तृत–हिन्दुस्तान 01.08.2019

वित्त मंत्री टैक्स उत्पीड़न की शिकायतें सुनेंगी

सीतारमन देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर कारोबारियों से मुलाकात करेंगी

अर्थव्यवस्था को गति देने की कवायद में जुटी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर वसूली में उत्पीड़न जैसी शिकायतों पर भी गंभीर रुख अपनाया है। वित्त मंत्री अगले हफ्ते से इस मुद्दे को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में कारोबारियों से मिलेंगी और तुरंत मौके पर शिकायतों का निवारण करेंगी। वह खुद ही जल्द ऐसे तकनीकी मंच से जुड़ेंगी ताकि ऐसी शिकायतें सीधे उनके संज्ञान में आ सकें।

वित्त मंत्री ने शुक्रवार, 09–08–2019 को भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा कि जिन क्षेत्रों में कर उत्पीड़न की शिकायतें सामने आई है, वहां कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। सीआईआई के मुताबिक टैक्स के मोर्चे पर वित्त मंत्री ने कहा की सरकार का इरादा कंपनी कर को कम करने का है और उद्योग को इसके लिए इंतजार करने की जरूरत होगी। साभार–हिन्दुस्तान 10.08.2019

उद्योग जगत ने मांगा प्रोत्साहन पैकेज

वित्त मंत्री ने उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि सीएसआर के दंड संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि कंपनी अधिनियम में हाल में किए गए संशोधनों के बाद आए दंड प्रावधानों को उन कंपनियों पर लागू नहीं किया जाएगा जो कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) मानकों को पूरा नहीं करती। नए कानून के दंड प्रावधानों में जेल की सजा देना भी शामिल है।

दिनांक 08.08.2019, गुरुवार को वित्त मंत्रालय में उद्योग संगठनों के सदस्यों व अन्य उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक में सीतारमन ने यह आश्वासन दिया है। उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकार से एक लाख करोड़ रुपए के 'क्विक फिक्स' प्रोत्साहन पैकेज की मांग की है, जिससे की मांग व खपत बहाल की जा सके, क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के तहत आर्थिक वृद्धि दर सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है।

इस बैठक में कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया,सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य शामिल थे। जेएसडब्ल्यू समूह के चेयरमैन ने सीताराम के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा 'सीएसआर' के दंड प्रावधानों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री की ओर से हमें यह आश्वासन दिया गया है कि जेल की सजा और दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कंपनी अधिनियम में संशोधनों के मुताबिक, जिसे संसद ने पारित किया है, सीएसआर मानकों के उल्लंघन पर कंपनी व चूक करने वाले अधिकारियों पर ₹50,000 से 25 लाख रुपए तक जुर्माना और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को 3 साल तक जेल की सजा हो सकती है।

एसोचैम के अध्यक्ष बी. के. गोयनका ने कहा की उनके समूह में घरेलू और वैश्विक बाजारों में मौजूदा मंदी को देखते हुए निवेश चक्र बहाल करने के लिए 'क्विक फिक्स' प्रोत्साहन पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा प्रोत्साहन पैकेज पेश कर अर्थव्यवस्था में तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की जरूरत है। हमने एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेज का सुझाव दिया है।

पीरामल इंटरप्राइजेज के अजय पीरामल ने कहा, 'वित्त मंत्री व मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने बहुत ध्यान से सुना की उद्योग जगत क्या कहना चाहता है। वे 3 घंटे तक थे। हमारी तरफ से उठाया गया मुख्य मसला व्यवस्था में नगदी की कमी को लेकर था। बैंकों के पास नकदी की कमी का मसला नहीं बल्कि कर्ज न मिलने का मसला है। जहां तक एनबीएफसी का सवाल है अर्थव्यवस्था पर दबाव है और एनबीएफसी के कारण अन्य उद्योगों पर भी असर पड़ रहा है। चाहे वह ऑटोमोबाइल हो, होम लोन हो या मझोले व छोटे स्तर के उद्योग हो।'

बैठक में उद्योग समूह इस बात पर एकमत थे की बैंक दरों में कई बार कटौती होने का फायदा ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं। सीआईआई के उपाध्यक्ष टी. वी. नरेंद्रन ने कहा 'पिछले एक साल में फरवरी 2019 के दौरान रेपो रेट में 75 आधार अंक की कटौती हुई। जबकि सरकारी बैंकों के मीडियम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट (एमसीएलआर) में 10 आधार अंक की कटौती हुई है।' सीआईआई ने लघु बचत दरों में भी बाजार दरों की तर्ज पर कटौती करने की वकालत की है।

उद्योग संगठनों ने कहा कि नगदी की कमी का असर छोटे व मंझोले उद्योगों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने कहा 'रिजर्व बैंक ने दरों में 110 आधार अंक की कमी की है, ऐसे में उद्योग जगत दरों में और कमी की उम्मीद कर रहा है। क्योंकि वास्तविक ब्याज दरें अभी भी बहुत ज्यादा है।'

वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्यकारी बालेस शर्मा ने कहा कि सीतारमन ने सचिवों से कहा कि वे विभिन्न उद्योग संगठनों की ओर से उठाए गए मसलों का समाधान करें। खासकर जीएसटी रिफंड अटके होने की मांग पर खासा जोर दिया। साभार–बिजनेस स्टैंडर्ड–09.08.2019

रेपो दरों में कमी का लाभ आम आदमी तक पहुंचाए बैंक

उद्योग जगत की वाणिज्यिक बैंकों से मांग

भारतीय उद्योग जगत ने भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत दर में 07.08.2019 बुधवार को 0.35 प्रतिशत की कटौती का स्वागत किया है, और अपील की है कि सभी वाणिज्यिक बैंक नीतिगत ब्याज दर में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को दें ताकि निवेश और उपभोग को बढ़ावा मिल सके।

विस्तृत-राष्ट्रीय सहारा- 08-08-2019

रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर प्रोपर्टी टैक्स में 5% छूट

नगर विकास व आवास विभाग ने राज्य में जल संचयन की योजना को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को राहत दी है। विभाग ने नगर निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को टैक्स में छूट देने का सभी नगर निकायों को शुक्रवार 09.08.2019 को निर्देश जारी किया है। विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में भू–जल स्तर की कमी को रोकने के लिए यह पहल की गई है। उन्होंने बताया कि बिहार नगर पालिका संपत्ति कर नियमावली में इस प्रकार का प्रावधान है।

कोई भी संपत्ति का स्वामी जो अपनी संपत्ति जमीन या भवन में वर्षा जल संरक्षण की तकनीकी और संरचना अपनाएगा तो उसको उस कुल संपत्ति कर में 5% की छूट दी जाएगी। नियमावली के इस प्रावधान को चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 जल संरक्षण की तकनीक अपनाने वाले भू–स्वामियों व मकान मालिकों की संपत्ति कर में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी नगर निकायों को इस संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया है। साभार- प्रभात खबर-10-08-2019

हर साल लाइसेंस लेने की झंझट से मुक्ति मिलेगी

छोटे व्यापारियों को एक साथ 10 साल का लाइसेंस देने पर विचार

छोटे व्यापारियों को बार–बार लाइसेंस नवीनीकरण के झंझट से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार तैयारी कर रही है कि छोटे व्यापारियों को एकमुश्त 10 साल के लिए लाइसेंस दे दिया जाए ताकि उन्हें उसके नवीनीकरण के लिए बार–बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े।

सभी अलग–अलग कारोबार और राज्यों में छोटे खुदरा कारोबारियों के लाइसेंस के नवीनीकरण की अवधि 1 साल से लेकर 5 साल तक रखी गई है। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय से मौजूदा दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में भी बदलाव के लिए सिफारिश भेजी है। इससे इस कानून के तहत कराए जाने वाले दो दर्जन अलग–अलग पंजीकरण से कारोबारियों को छुटकारा मिल सकेगा और वे आसानी से कारोबार कर सकेंगे।

एक देश एक लाइसेंस नीति पर काम चल रहा

केंद्र सरकार एक देश एक लाइसेंस नीति पर काम कर रही है। सरकार व्यापारियों को मिलने वाले अलग–अलग लाइसेंसों को एक साथ देगी। लाइसेंस की एकमुश्त फीस जमा करने पर छूट दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच अलग–अलग लाइसेंस की मंजूरी को लेकर भी स्पष्टता आएगी।

28 तरह के लाइसेंस

केंद्र के अनुसार विभागों से 28 तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। उन्हें श्रम विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, अग्निशमन विभागों से लेकर जीएसटी कार्यालय तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

पहले भी दी गई कई सौगात

- डेढ़ करोड़ से कम कारोबार पर ₹3000 पेंशन का एलान
- 59 मिनट में 5 करोड रुपए तक के कर्ज की सुविधा शुरू की
- कारोबारियों को 59 मिनट में 20 लाख तक लोन देने की तैयारी

साभार– हिन्दुस्तान–02.08.2019

वाणिज्य–कर विभाग

समाहितीकरण (Composition) के अंतर्गत कर देने वाले व्यवसायियों के लिए

आवश्यक सूचना

- जो व्यवसायी मालों की आपूर्ति (बिक्री) करते हैं एवं Composition के अधीन कर का भुगतान करने का विकल्प दिए हैं, उन्हें अपने देय कर का स्वयं निर्धारण करते हुए त्रैमासिक आधार पर CMP-08 (Statement) के साथ कर का भुगतान करना है।
- ऐसे व्यवसायियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 से पूरे वर्ष के लिए मात्र एक विवरणी GSTR-04 दाखिल करनी है।
- प्रथम त्रैमास यानी माह अप्रैल 2019 से जून 2019 की अवधि के लिए CMP-08 (Statement) दाखिल करने की अवधि को दिनांक 31–08–2019 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है।
- मुख्यतः सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न 50 लाख रुपया तक के आवर्त वाले व्यवसायियों के लिए लागू की गई (Compounding) की नई योजना के अधीन पात्र व्यवसायियों द्वारा अपना विकल्प प्रपत्र CMP-02 में दाखिल किया जाना है, जो अब दिनांक–31–09–2019 तक दाखिल की जा सकेगी।
- विस्तृत जानकारी एवं Composition की पात्रता हेतु बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–21/2019 दिनांक–23–04–2019 एवं अधिसूचना संख्या–2/2019 (Rate) दिनांक–07–03–2019 का अवलोकन किया जा सकता है, जो विभागीय वेबसाइट www.biharcommercialtax.gov.in पर उपलब्ध है। राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव

अधिक जानकारी हेतु स्थानीय वाणिज्य कर कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है अथवा विभाग द्वारा संचालित हेल्प–डेस्क 0612–2233512–16, मोबाइल नं0–9472457846 एवं टॉल फ्री नं0–18003456102 पर भी संपर्क किया जा सकता है)

साभार–दैनिक भास्कर–03–08–2019

जीएसटी रिफंड में देरी पर देना होगा ब्याज

गुजरात उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर जीएसटी रिफंड का भुगतान करने में देरी होती है तो देरी के लिए ब्याज दें। पदाधिकारियों को 9% सालाना की दर से ब्याज भुगतान करने को कहा गया है।

एक साझेदारी फर्म सर्राफ नेचुरल फर्म ने जीएसटी रिफंड का दावा किया था। प्राधिकारियों द्वारा जीएसटी रिफंड में उल्लेखनीय देरी की गई। उसके बाद फर्म ने उच्च न्यायालय में रिट के माध्यम से आवेदन किया और अधिकारियों से देरी के लिए ब्याज दिए जाने की मांग की। आवेदन में कहा गया था कि अधिकारियों को प्रोविजनल फंड का 90% दावे की तिथि के 7 दिन के भीतर जारी करने का प्रावधान है।

फर्म ने कहा कि अधिकारियों ने देरी की कोई वजह नहीं बताई और उन्हें देरी को लेकर कोई नोटिस नहीं मिली, जिससे इस तरह की देरी की वजह का पता चल सके।

इसमें आगे कहा गया कि देरी की वजह से फर्म की कार्यशील पूंजी पर असर पड़ा है इसलिए उन्हें देरी से भुगतान के एवज में ब्याज दिया जाना चाहिए।

बहरहाल प्राधिकारीयों– राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और जीएसटी नेटवर्क ने कहा है कि फर्म को ब्याज दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, और इसीलिए याचिका में कोई दम नहीं है।

उच्च न्यायालय ने पाया कि कानून स्थापित है, जहां ब्याज को लेकर प्रावधान किए गए हैं कि रिफंड का भुगतान लाभकारी और गैर विभेदकारी होना चाहिए। इसीलिए न्यायालय ने कहा कहा कि प्राधिकारी 9% सालाना ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

केपीएमजी के पार्टनर हरप्रीत सिंह ने कहा यह एक अहम फैसला है क्योंकि अक्सर लंबित रिफंड दावों का निर्यातकों की कार्यशील पूंजी पर खराब असर होता है।

उन्होंने कहा कि इस फैसले ने दावेदारों के लिए राह खोल दी है और अब करदाता की चूक न होने के बावजूद बहुत ज्यादा देरी होने पर ब्याज की मांग कर सकते हैं।

साभार–बिजनेस स्टैंडर्ड –03.08.2019

जीएसटी में राहत के बाद दाम बढ़ा सकेंगे

जीएसटी में कटौती के बाद कंपनियां अपने उत्पादों के दाम बढ़ा सकेंगी। सरकार ने कुछ शर्तों के बाद इसकी इजाजत दे दी है।

जीएसटी के तहत सख्त मुनाफा रोधी कानून को देखते हुए कंपनियां बेहद सावधानी से इस मामले पर आगे बढ़ रही है। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि जीएसटी के तहत मुनाफा रोधी कानून में जिन मुद्दों पर स्पष्टता नहीं थी, उनको अब दूर कर लिया गया है। कंपनियां कारोबारी चक्र में उत्पादों के दाम बढ़ा सकती है। कंपनियां ऐसा तभी कर सकती हैं। जब वह जीएसटी में पहले हुई कटौती का फायदा उपभोक्ताओं को दे चुकी हो। सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद भी कंपनियां इस बात को लेकर उहापोह में हैं। कि कीमतों में बढ़ोतरी को कैसे लागू करें। कंपनियां चाहती हैं कि जिन उत्पादों पर जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों को दे चुकी हो और उसकी बजाय वह अन्य उत्पादों के दाम बढ़ाकर इससे हुए नुकसान की भरपाई कर सके।

साभार–हिन्दुस्तान–06.08.2019

ऑनलाइन लेनदेन के लिए मास्टरकार्ड की नई पहल 'आइडेंटिटी चेक एक्सप्रेस'

भुगतान समाधान कंपनी मास्टरकार्ड ने मंगलवार 06.08.2019 को एक नई कार्ड भुगतान सेवा शुरू की। यह ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदारी करते समय बिना किसी दिक्कत के लेनदेन की सुविधा देगी। इस सेवा का नाम 'आइडेंटिटी चेक एक्सप्रेस' है। यह अगली पीढ़ी का मोबाइल सत्यापन समाधान है। यह ऑनलाइन लेनदेन के लिए तीसरी वेबसाइट पर ले जाए बिना भुगतान को पूरा करेगी और लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाएगी।

इस नए फीचर को ग्लोबल मास्टर कार्ड साइबर सिक्योरिटी समिट में प्रदर्शित किया गया। आईडेंटिटी चेक एक्सप्रेस के साथ मास्टर कार्ड धारक ₹2000 से कम की राशि के लिए एकबारगी व्यापारी विशिष्ट सहमति के माध्यम से बिना किसी दिक्कत के भुगतान कर सकेंगे। ₹2000 से ऊपर के लेनदेन के लिए कार्डधारक पिन के साथ खुद को प्रमाणित करने में सक्षम होंगे।

साभार–प्रभात खबर–07.08.2019

दूध कारोबार के नियमों में हो सकता है बदलाव

बिहार में अब दूध प्रसंस्करण उद्योग में नए खिलाड़ियों के प्रवेश की राह आसान हो सकती है। दरअसल राज्य सरकार इस बारे में अपने नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। बिहार के उद्योग संघों के मुताबिक इससे राज्य में दूध और इससे जुड़े उद्योगों को जबरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा।

राज्य सरकार के मुताबिक इस उद्योग में काफी संभावनाएं हैं। इसलिए वह नियमों में बदलाव के बारे में विचार कर रही है। दरअसल राज्य की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत जिन इलाकों में कॉम्फेड पहले से काम कर रही है, वहां निजी क्षेत्र को दूध खरीद की इजाजत नहीं है। इस बारे में राज्य के उद्योग संघ काफी समय से बदलाव की मांग कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से भी इस बारे में सहमति मिल चुकी है, लेकिन अब तक इस बारे में कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। इस वजह से राज्य में इस क्षेत्र में निवेश नहीं हो पा रहा है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी.के. अग्रवाल ने भी इस बारे में राज्य सरकार से बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर दिन सुधा डेयरी 18,00,000 लीटर दूध खरीदती है, लेकिन अब राज्य की जरूरत को पूरा करने में नाकामयाब है।

साभार-बिजनेस स्टैंडर्ड-05.08.2019

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में 1288 करोड़ के निवेश को क्लीयरेंस

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की मंगलवार 06.08.2019 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 प्रस्तावों को स्टेज वन का क्लीयरेंस मिल गया। इसके तहत राज्य में 1288 करोड़ रुपए के निवेश होंगे। सबसे अधिक 13 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में है। इसमें 1044 करोड़ के निवेश होंगे। बैठक में तीन प्रस्तावों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस मिल गया है। इसमें 46.45 करोड़ के निवेश होंगे। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में प्लास्टिक एवं रबर के दो प्रपोजल को स्टेज वन का क्लीयरेंस मिला। इसमें 6.11 करोड़ के निवेश होंगे इसके अलावा टेक्सटाइल के दो प्रपोजल में 1.42 करोड़ और पर्यटन के एक प्रपोजल में 3.55 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव को स्टेज वन का क्लीयरेंस मिल गया है। बैठक में खाद्य प्रसंस्करण के दो प्रपोजल, जिसमें 45.38 करोड़ का निवेश होंगे, इन्हें वित्तीय प्रोत्साहन का क्लीयरेंस मिला, प्लास्टिक एवं रबर के एक प्रस्ताव को वित्तीय प्रोत्साहन का क्लीयरेंस मिला, इसमें 1.07 करोड़ के निवेश होंगे।

उद्योग मित्र का होगा विस्तार, बनेगी 4 मॉनिटरिंग यूनिटें

राज्य के उद्यमियों और निवेशकों के सहयोग के लिए काम कर रहा उद्योग मित्र का विस्तार किया जाएगा। इसमें अब 4 पीएमयू (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट) की स्थापना होगी। जल्द ही यह पीएमयू काम करने लगेगी। उद्योग विभाग इसकी जोर–शोर से तैयारी कर रहा है। उद्योग मित्र उद्योग विभाग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो नया उद्योग लगाने वाले, नए निवेशकों और उद्योग चलाने वाले उद्यमियों को हर तरह की सहायता देता है। हर तरह की योजना की जानकारी देता है। उद्योग मित्र के कॉल सेंटर में रोजाना 300 कॉल आते हैं, जिसमें उद्योग लगाने से लेकर अनुदान लेने की प्रक्रिया, एससी–एसटी उद्यमी योजना, पीएमईजीपी स्टार्टअप आदि के बारे में जानकारी मांगी जाती है। उद्योग मित्र के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उमेश कुमार सिंह बताते हैं कि उद्यमियों वह निवेशकों के लिए उद्योग मित्र सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करता है। निवेशकों और उद्यमियों को हर तरह की जानकारी सुविधा और सलाह देने के लिए उद्योग मित्र काम करता है।

बनेगा 4 पीएमयू :– उद्योग विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि उद्योग मित्र के विस्तार को हरी झंडी दी गई है। इसके तहत चार पीएमयू का गठन होगा। पीएमयू एक यूनिट प्रोजेक्ट संबंधी काम देखेगा। इसमें निवेशकों को जमीन से लेकर उन्हें लाइसेंस दिलाने तक काम होगा। एक यूनिट एसआईपी के क्लीयरेंस का काम देखेगा, एक यूनिट किसी भी उद्योग या औद्योगिक यूनिट के विस्तार और उसके आधुनिकरण का काम देखेगा। पीएमयू के जिम्मे निवेशकों को चिन्हित करने का काम होगा। निवेशकों की सुविधा का ध्यान रखेगा।

साभार- प्रभात खबर- 07.08.2019

बिहार में सख्त हुए औद्योगिक सब्सिडी के नियम

बिहार सरकार ने अब औद्योगिक सब्सिडी के नियम सख्त कर दिए हैं। इसके तहत अब औद्योगिक इकाइयों से सही कागज मिलने के बाद ही सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सब्सिडी भुगतान के लिए दस्तावेज की जांच अनिवार्य कर दी गई है। उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फर्जी निवेशकों को प्रक्रिया से बाहर करने के लिए सरकार ने यह बदलाव किए हैं।

विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक में रवैया सख्त करने की मंजूरी दी गई। विभाग के एक अधिकारी ने बताया यह कागजात पहले भी मांगे जाते थे हालांकि अब इस बारे में सख्ती से नियम लागू करने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार ने अब वाणिज्यिक उत्पादन तय करने के लिए कागजात अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए इकाइयां दो श्रेणियों में बांटी गई है। पहली श्रेणी में ऐसे उद्योग रखे गए हैं, जिनमें उत्पादन शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगे। दूसरी श्रेणी में ऐसे उद्योग रखे गए हैं जहां मामला ठीक इसके उलट है। कम समय लेने वाले उद्योगों की पहचान जगह के निरीक्षण और पहले बिल के आधार पर की जाएगी। दूसरी श्रेणी में आने वाले उद्योगों को बिजली का पहला बिल जीएसटी निबंधन और उद्योग आधार देना होगा। पहले इस मामले में केवल निवेशकों से हलफनामा लिया जाता था। सभी अधिकारियों को हर 3 महीने में एक बार स्थल निरीक्षण का आदेश दिया है। इस बारे में जिला उद्योग केंद्रों के महा प्रबंधकों के साथ–साथ राज्य मुख्यालय से भी अधिकारियों को भेजा जाएगा।

साभार-बिजनेस स्टैंडर्ड-03.08.2019

मुख्यमंत्री ने कहा- निजी घरों में लगाएं सोलर प्लेट, सरकार खरीदेगी बिजली

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज अधिकतर बिजली कोयले से बनाई जा रही है। एक दिन जमीन के अंदर मौजूद कोयला खत्म हो जाएगा। लेकिन सूर्य तो हमेशा रहेगा। हमें बिजली के लिए सोलर प्लांट पर ध्यान देना होगा। लोग अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगा सकते हैं। उपयोग के बाद बचने वाली अतिरिक्त बिजली ऊर्जा विभाग को बेची जा सकती है। सरकार खुद इसके लिए पहल कर रही है। जब हर सरकारी भवन की छत पर सोलर प्लांट लगने लगेगा, तब लोग अपने घरों में भी सोलर प्लांट लगाएंगे।

साभार- दैनिक भास्कर-10-08-2019

एसआईपीबी ने 272 प्रस्ताव को दी वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति, इकाईयां कार्यरत

उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) ने अभी तक 272 निवेश प्रस्ताव को वित्तीय प्रोत्साहन के लिए स्वीकृति दिया हैं, जिनमें 169 इकाइयां कार्य कर रही हैं और इसमें लगभग 4096 लोगो को रोजगार मिला हैं।

मंत्री ने विभाग में एसआईपीबी द्वारा स्वीकृति प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने विभाग को नई औद्योगिक नीति के तहत अभी तक कितनी इकाइयां कार्यरत हैं, उत्पाद की बिक्री कहां की जाती है और उद्यमी कच्चा माल कहां से खरीदते हैं, इसकी रिपोर्ट इस महीने के अंत तक देने का निर्देश दिया। मंत्री ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना की भी समीक्षा की और कहा कि अभी तक इस योजना के लिए 3641 लाभुकों का चयन किया गया है।

साभार- दैनिक भास्कर-09.08.2019

उद्योग मंत्री का निर्देश–राज्य के खादी संस्थानों की जांच कर 25 तक दें रिपोर्ट

राज्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से 80 संस्थाएं संबद्ध हैं। सरकार की तरफ से इन संस्थाओं को चरखा, कार्यशील पूंजी व उपकरण उपलब्ध कराया गया है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने खादी बोर्ड के सलाहकार ग्रांट थॉरटन को 25 अगस्त तक खादी संस्थानों की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। वह राज्य खादी पुनरुद्धार योजना का समीक्षा कर रहे थे। मंत्री ने हैंडलूम बुनकर सोसाइटी, अपेक्स बॉडी को जल्द हैंडलूम मार्का लेने का निर्देश दिया। कहा

कि बिना हैंडलूम मार्का के सतरंगी चादर की आपूर्ति करना संभव नहीं है उन्होंने गांधी मैदान में खादी भवन के शोरूम का निर्माण कार्य 2 अक्टूबर से पहले पूरा करने का निर्देश दिया ताकि इस साल गांधी जयंती पर शोरूम का उदघाटन किया जा सके। बैठक में सचिव लोकेश कुमार सिंह, खादी बोर्ड के सीईओ बी.एन. प्रसाद के. वी. आईसी के निदेशक पंकज कुमार सिंह आदि भी थे।

साभार- दैनिक भास्कर-09.08.2019

अपर सचिव उद्योग करेंगे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर का स्थल निरीक्षण

सरकार मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हथकरघा और सोलर चरखा क्लस्टर विकास योजना को लेकर काफी गंभीर है। इन कलस्टरों की वास्तविक स्थिति क्या है। इसकी रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। इन योजनाओं की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी लेने के लिए मुख्यालय से उद्योग विभाग के अपर सचिव जाएंगे। विभाग के अपर सचिव प्रदीप कुमार न केवल कलस्टर के अंदर बनाए जाने वाले सामान्य सुविधा केंद्र का निरीक्षण करेंगे और मानक के अनुरूप निर्माण हो रहा है या नहीं इसकी जानकारी भी लेंगे। अपर सचिव प्रदीप कुमार इसकी जानकारी सचिव को देंगे।

साभार-दैनिक भास्कर-08.08.2019

तेनुघाट से मिलेगी 40% बिजली, बिहार ने 19 साल बाद छोड़ा दावा

तेनुघाट पर अब झारखंड का पूर्ण स्वामित्व होगा। पिछले दिनों दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते के बाद बिहार ने बिजली घर से अपना दावा वापस ले लिया है। जून में ही इस पर दोनों राज्यों ने आपसी सहमति बना ली थी, सिर्फ कागजी प्रक्रियाएं पूरी करनी थी। ऊर्जा विभाग के संकल्प जारी करने के बाद कागजी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। अब बिजली घर झारखंड का हो गया है। हालांकि दावेदारी वापस लेने के एवज में तेनुघाट से बिहार को बिजली घर के स्टेज–2 की 40 फीसदी बिजली मिलेगी। वह भी उसी दर पर जिस दर पर झारखंड खुद बिजली लेता है।

बिहार के बंटवारे के समय से ही तेनुघाट के स्वामित्व पर झारखंड के साथ विवाद चल रहा था। 2004 में मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और फिर 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कोर्ट के बाहर मामला सुलझाने को कहा। हालांकि इसके पहले 2015 में बिहार ने बिजली बंटवारे के 50– 50% गणित पर सहमति का प्रस्ताव दिया, बात नहीं बनी। इस बीच बिहार ने 2018 में तेनुघाट में 40% हिस्सेदारी मांगी। लेकिन झारखंड ने यह कहते हुए उसे ठुकरा दिया की पहले स्टेज को लेकर पावर पर्चेज एग्रीमेंट हो चुका है। लिहाजा इससे बिजली नहीं दे सकते। हालांकी झारखंड ने स्टेज–2 से 40% बिजली देने का भरोसा दिलाया।

साभार-दैनिक भास्कर-08.08.2019

बिजली चोरी में फसाया तो बर्खास्त होगे इंजीनियर

लोगों से मिल रही शिकायतों के बाद बिजली कंपनी ने जारी की चेतावनी

राज्य में बिजली चोरी के नाम पर लोगों को झूठे केस में फसाना अब इंजीनियरों को महंगा पड़ेगा। छापेमारी के बाद बनने वाली रिपोर्ट में इंजीनियरों को हर हाल में नियम कानून का पालन करना होगा। अगर किसी उपभोक्ता ने शिकायत कर दी और जांच में पाया गया कि इंजीनियरों ने जानबूझकर फंसाने की कोशिश की है तो उनकी नौकरी तक जा सकती है।

बिजली कंपनी के इस आदेश के पीछे वैसे इंजीनियरों को एक मैसेज भी देना है जो छापेमारी के नाम पर गाहे–बगाहे लोगों को मानसिक व आर्थिक तौर पर परेशान करते रहते हैं। इस क्रम में उपभोक्ताओं को बिजली दफ्तरों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं।

अब इंजीनियरों को यह करना होगा

अगर बिजली मीटर से छेड़छाड़ के नाम पर जुर्माना किया जा रहा है तो इससे इंजीनियरों को तथ्यों के आधार पर साबित करना होगा। मीटर उखाड़ कर ले जाएंगे तो उसकी तस्वीर लेनी होगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करनी होगी। लोड कम होने पर जुर्माना लगाते समय इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता ने इसके लिए कभी आवेदन दिया है या नहीं। बीते महीनों का जमा किया गया बिल और मौजूदा खपत के अनुसार ही जुर्माना करना होगा।

साभार, हिन्दुस्तान 01.08.2019

बिहार में बनेगा आईटी पार्क

बिहार सरकार ने फिर से आईटी पार्क को लेकर कवायद तेज कर दी है। इस बारे में राज्य सरकार ने देश–विदेश से विशेषज्ञों से भी सलाह लेने का फैसला लिया है। साथ ही निवेशकों को बिहार में आमंत्रित करने का भी फैसला लिया है।

राज्य सरकार के मुताबिक इस क्षेत्र में तरक्की की उम्मीद है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में निवेशकों को लुभाने की योजना बनाई है। इस बारे में जमीन अहम भूमिका अदा करता है। इसीलिए राज्य सरकार ने अब आईटी पार्क और टावर के निर्माण की बात कही है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राहुल सिंह ने बताया, 'इस बारे में काम चल रहा है। पटना के बीचो–बीच आईटी टावर के निर्माण के लिए बेल्ट्रॉन को जिम्मेदारी दी जा चुकी है। इस बारे में अब जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्जित शानदार इमारत होगी। सरकार पटना के पास बिहटा और राजगीर में आईटी पार्क का निर्माण कर रही है।'

सिंह ने बताया कि बिहटा में 63 एकड़ और राजगीर में 111 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। बिहटा में विभाग वहां आईटी के लिए उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण संस्थान बनाएगा। वहीं राजगीर में आईटी पार्क का निर्माण कराया जाएगा। इस बारे में देश–विदेश के दिग्गज विशेषज्ञों, डेवलपर के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। हमारी कोशिश विश्व स्तरीय आईटी पार्क बनाने की है। यहां सॉफ्टवेयर के साथ–साथ हार्डवेयर चिप डिजाइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण पर भी जोर होगा।

राज्य सरकार ने व्यापारिक प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन पटना में आयोजित करने का भी फैसला लिया है। इसमें बिहार की तरक्की को प्रदर्शित किया जाएगा।

साभार-बिजनेस स्टैंडर्ड 07.08.2019

ब्रिटानिया बिहटा में करेगा ₹250 करोड़ का निवेश

नई औद्योगिक नीति 2016 के सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 7 दिनों में कंपनी को मिली क्लियरेंस

बिहार में धीरे–धीरे निवेश का माहौल बनने लगा है। निजी क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां निवेश करने के लिए आगे आई हैं। पिछले तीन साल में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाड़ा के क्षेत्र में दो हजार करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव मिला है। वर्ष 2019–20 में ब्रिटानिया बिहटा में 250 करोड़ का निवेश करेगी। कंपनी पूर्वी भारत के सभी राज्यों को बिहटा से ही गुड की आपूर्ति करेगी और बिहटा पूर्वी भारत के हब के रूप में विकसित होगा। उद्योग विभाग ने नई औद्योगिक नीति 2016 के सिंगल विंडो सिस्टम के तहत कंपनी को 7 दिनों में सारी क्लीयरेंस दिलवाई है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव

पिछले तीन वर्षों में राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में डेढ़ हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इस क्षेत्र की बड़ी कंपनी आईटीसी, ब्रिटानिया और प्रिया गोल्ड राज्य में निवेश करने के लिए आई है। बहुराष्ट्रीय कंपनी आईटीसी ने राज्य में 500 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। पिछले दिनों पटना आए आईटीसी के सीईओ संजीव पुरी ने राज्य में बिस्किट, नूडल्स, कुकीज एवं अन्य खाद्य उत्पाद के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही थी। इसके लिए कंपनी ने बिहार औद्योगिक

विकास प्राधिकरण (बियाडा) से 60 एकड़ जमीन देने का आग्रह किया है।

कंपनी पहले से ही राज्य के 7 जिलों मुंगेर, समस्तीपुर, लखीसराय, बक्सर, भागलपुर, बेगूसराय और बांका के किसानों से एक लाख टन गेहूं और मक्का की खरीद कर रही है। वहीं कंपनी का डेयरी उत्पाद भी बाजार में आ गया है। बिहार वनस्पति तेल का एक बड़ा बाजार है। इसे देखते हुए इमामी ग्रुप ने भी राज्य में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई है। कंपनी की योजना, खाद्य तेल का एक क्लस्टर विकसित करने की है।

"खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की कंपनी ब्रिटानिया को एसआईपीबी से स्टेज वन क्लीयरेंस मिलने के बाद उद्योग विभाग ने सभी क्लीयरेंस 7 दिनों के अंदर दिलवाया है। कंपनी जल्द ही फैक्ट्री निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगी।" —**पंकज कुमार सिंह**, उद्योग निदेशक

साभार-दैनिक भास्कर 08.08.2019

156 मेगावाट पनबिजली उत्पादन पर काम शुरू

केंद्र से सहायता मिलने के आश्वासन के बाद बिहार ने 156 मेगा वाट पनबिजली उत्पादन पर काम शुरू कर दिया है। पनबिजली उत्पादन के लिए हुए बरसों पहले सर्वे को बिहार राज जल विद्युत निगम (बीएचपीसी) के बोर्ड ने मुहर लगा दी है। अब ऊर्जा विभाग की अनुमति मिलते ही इन परियोजनाओं की डीपीआर बनेगी। राज्य में अभी पौने दो लाख करोड़ यूनिट सलाना पनबिजली का उत्पादन हो रहा है।

कोयला से हटकर सोलर व पनबिजली को बढ़ावा देने के लिए बिहार रिन्यूअल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) ने सर्वे कराया था। सर्वे के बाद यह परियोजना फाइलों में दबी हुई थी। बीते दिनों केंद्र सरकार ने पनबिजली परियोजना को बढ़ावा देने के लिए बैठक की। उसमें बिहार राज्य में 156 मेगावाट पनबिजली उत्पादन की संभावनाओं का उल्लेख किया। बताया कि पनबिजली उत्पादन के लिए सर्वे हो चुका है। अगर केंद्र सरकार सहायता दे तो वह डीपीआर बनाना शुरू करेगा। केंद्र ने कुल खर्च का 30 फीसदी देने पर सहमति दे दी है। उसी सहमति के आलोक में बीएचपीसी ने परियोजना को मूर्त रूप देने पर अमल शरू कर दिया है। बीएचपीसी बोर्ड से मंजूर प्रस्ताव को ऊर्जा विभाग के समक्ष भेजा जा रहा है।

यह है परियोजना

राज्य की तीन नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा के बेसिन में पनबिजली उत्पादन करने की योजना है। इसमें बगहा में 80 मेगावाट तो 50 मेगावाट बेतिया में पनबिजली घर लगेंगे। इसके अलावा और 6 स्थानों पर 26 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन होगा। आकलन के अनुसार एक मेगावाट उत्पादन करने के लिए पनबिजली घर बनाने में 10 करोड़ खर्च होते हैं। इसमें से केंद्र सरकार 3 करोड़ बतौर सहायता उपलब्ध करा सकती है।

यहाँ लगेगी परियोजना

परियोजना स्थल	क्षमता
बेतिया	80 मेगावाट
बगहा	50 मेगा वाट
सोनापुर	11.40 मेगावाट
दालखोला	7.70 मेगावाट
बारा गोविन्दपुर	4.4 मेगावाट
रूपाधर	2.50 मेगावाट

साभार-हिन्दुस्तान 07-08-2019

तीन फाइव स्टार होटल का निर्माण अक्टूबर से होगा

पटना में 3 फाइव स्टार होटलों के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। सुल्तान पैलेस, होटल पाटलिपुत्र अशोक और बांकीपुर बस स्टैंड परिसर में बनने वाले पांच सितारा होटल के निर्माण का आकलन किया गया। पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने बताया कि पटना में बनने वाले तीनों होटलों का काम अक्टूबर–नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी कर ली गई है ,पर्यटन विभाग वह भवन निर्माण विभाग के अधिकारी विस्तार से जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष रखेंगे। पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया में ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका पिछले 3 वर्षों में कम से कम 500 करोड़ का टर्नओवर रहा होगा।

ऐसा होगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होटल

- **सुल्तान पैलेस–** यह भवन हमारी पुरानी विरासत में शामिल है। इस कारण इसके सामने का हिस्सा जो 0.5 एकड़ में है, उसे तोड़ा नहीं जाएगा। पैलेस का पूरा हिस्सा 4.8 एकड़ में फैला हुआ है, और नए निर्माण के तहत यहां पर 150 से 200 कमरे बनाए जाएंगे। पांच सितारा होटल के साथ मॉल एवं अन्य अत्याधुनिक भवनों का निर्माण होगा। इसे पांच सितारा होटल के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटकों को सभी सुविधाएं दी जाएगी।
- **होटल पाटलिपुत्र अशोक–** यह होटल 1.5 एकड़ जमीन पर बना हुआ है, यहां पहले से 46 कमरे हैं, लेकिन जब इसे पांच सितारा होटल के रूप में विकसित किया जाएगा, तो इसमें 80 से 100 कमरे होंगे। यहां भी मॉल, जिम सहित अन्य सुविधाएं होगी।
- **होटल प्लॉट बांकीपुर–** यह 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। यहां भी पांच सितारा होटल बनाया जाना है। इस होटल का निर्माण गांधी मैदान एसबीआई से काफी नजदीक होगा, यहां आए पर्यटकों को बैंक संबंधी सुविधाओं के साथ आवागमन में राहत मिलेगी, और होटल में 150 से 200 कमरे बनाए जाएंगे।

साभार-प्रभात खबर 08.08.2019

विदेश में पासपोर्ट ही होता है आपकी पहचान

विदेश जाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहली जरूरत पासपोर्ट की होती है। पासपोर्ट में आपकी पूरी जानकारी दर्ज रहती है। ज्यादातर लोगों को पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रक्रिया पता नहीं होती। हम आपको बताएंगे कि पासपोर्ट कितने तरह के होते हैं, इसे बनवाने की प्रोसेस क्या है और फीस कितनी लगती है।

पासपोर्ट सबसे जरूरी यात्रा दस्तावेज होता है। इसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जब आप उच्च शिक्षा के लिए, घूमने के लिए, इलाज के लिए, नौकरी के लिए या परिवार के साथ किसी दूसरे देश जाते हैं तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यह विदेश में आपकी पहचान और नागरिकता बताता है। बगैर पासपोर्ट आप किसी भी देश में प्रवेश नहीं कर सकते।

पिछले कुछ वर्षों में पासपोर्ट की मांग तेजी से बढ़ी है। इसे देखते हुए विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2010 में पासपोर्ट सेवा केंद्र परियोजना शुरू की। प्रत्येक राज्य में विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट और वीजा प्रभाग की इकाई केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के रूप में काम करती है। इसका काम सभी पात्र नागरिकों को उनकी मांग पर पासपोर्ट जारी करना होता है। देशभर में स्थित 93 पासपोर्ट कार्यालयों और विदेशों में 162 भारतीय राजनयिक मिशनों में यह जारी किये जाते है। पासपोर्ट विभाग पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर ही पासपोर्ट जारी करता है। पासपोर्ट देने से पहले आवेदक की सम्पूर्ण सही–सही जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य की पुलिस की मदद ली जाती है। इंडियन पोस्टल सर्विस द्वारा आवेदक के साइन लेकर उसे पासपोर्ट सौंपा जाता है, उसके किसी फैमिली मेंबर को नहीं। भारत सरकार विभिन्न प्रकार के पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करती है। जैसे साधारण पासपोर्ट, राजनयिक पासपोर्ट, अधिकारिक पासपोर्ट, आपातकालीन प्रमाण–पत्र और पहचान का प्रमाण–पत्र आदि।

भारत में तीन प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं

1. सामान्य पासपोर्टः यह एक साधारण पासपोर्ट कहलाता है। इसका कवर नीले रंग का होता है। यह जारी करने की तारीख से 10 साल के लिए वैध होता है। अवधि खत्म होने पर इसे और 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। इसका उपयोग विदेश में छुट्टी मनाने घूमने जाने या किसी व्यवसायिक टूर के लिए कर सकते हैं।

2. राजनयिक पासपोर्टः इसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी कहते हैं। इसका कवर मैरून रंग का होता है। इस श्रेणी का पासपोर्ट केंद्र सरकार के अफसरों न्यायपालिका, वैधानिक अधिकारियों, राजनायिकों, आधिकारिक सार्वजनिक कोरियर और विशेष रुप से सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को

जारी किया जाता है।

3. अधिकारिक पासपोर्टः इसे ऑफिशियल पासपोर्ट भी कहते हैं। इसका कवर सफेद होता है। यह गैर राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों या किसी ऐसे व्यक्ति को जारी किया जाता है, जिसे सरकार अपने काम से विदेश भेजना चाहती है।

पासपोर्ट के बायोडाटा पेज पर पासपोर्ट धारक की निम्नलिखित जानकारी दर्ज रहती है। जैसे कि पासपोर्ट का प्रकार, आपकी जन्म की तारीख, जन्म स्थान, किस शहर से जारी हुआ, जारी करने की तारीख, एक्सपायरी डेट पासपोर्ट धारक का फोटो तथा आपके दस्तखत। बुक के अंत में पिता या कानूनी अभिभावक का नाम, मां का नाम ,पति–पत्नी का नाम, एड्रेस, यदि हो तो पुराना पासपोर्ट नंबर तथा फाइल नंबर आदि।

4. टॉपः पासपोर्ट के मामले में भारत विश्व में 75 वें स्थान पर हैं। पासपोर्ट की सूची में सिंगापुर टॉप पर है। वहां के नागरिकों के पास पावरफुल पासपोर्ट होने से वे ज्यादा से ज्यादा देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं।

साभार- दैनिक भास्कर 06.08.2019

राज्य के पर्यटन उद्योग को मिली नई ऊंचाई: सुशील मोदी

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों से समृद्ध बिहार को प्रधानमंत्री ने 250 करोड़ों रुपए का जो पैकेज दिया था, उसके एक हिस्से से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांवरिया पथ और जैन पथ का भी विकास हो रहा है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019–20 के आम बजट में देश के जिन 17 पर्यटक स्थलों को विश्वस्तरीय बनाने की घोषणा की, उनमें बिहार के बोधगया को भी शामिल किया गया। श्री मोदी ने राज्य के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाई देने वाली पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विनम्र आभार व्यक्त किया है।

साभार- राष्ट्रीय सहारा 06.08.2019

वाहन का इंश्योरेंस पेपर खो गया है, तो न हों परेशान

कार हो या बाइक सभी के लिए इंश्योरेंस का होना आवश्यक होता है। नए मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के अनुसार वैध और अप टू–डेट कार इंश्योरेंस के बिना ड्राइविंग पर जुर्माने के रूप में ₹2,000/– का फाइन या 3 साल की जेल की सजा तय की गई है। ऐसे में वाहन का इंश्योरेंस पेपर गुम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ओरिएंटल इंश्योरेंस के शाखा प्रबंधक सुजीत कुमार वर्मा बताते हैं कि अगर आपने बीमा एजेंट के माध्यम से गाड़ी का बीमा करवाया है। तो पेपर गुम होने पर तत्काल एजेंट से संपर्क करें। अधिकांश एजेंट बीमा पत्रों की एक प्रति अपने पास रखते हैं।

बीमा कंपनियां किसी भी कार या बाइक बीमा से संबंधित समस्याओं और शिकायत के बारे में अपने ग्राहकों को ई–मेल सहायता प्रदान करती है। आपके पास बीमा का नंबर भी नहीं है, तो अपने बीमा धारक को अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से उनके ग्राहक सहायता ईमेल आईडी पर मेल करें और पेपर के गुम होने की पूरी जानकारी दें। वर्मा ने बताया कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल बीमा धारक को आपकी बीमा पॉलिसी का विवरण खोजने में मदद करेंगे, कंपनियों के पास एक ई पोर्टल होता है, जहां ग्राहक अपने वाहन बीमा पॉलिसी की डुप्लीकेट कॉपी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इंश्योरेंस पेपर गुम होने पर बीमा कंपनी को एक आवेदन के माध्यम से यह जानकारी आपको देनी होगी। ब्रांच जाने से पहले एफआईआर की जरूरत होगी। कंपनियां एफआईआर कॉपी के बिना डुप्लीकेट वाहन बीमा कागजात जारी नहीं करती है। डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करने के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच में जो आवेदन पत्र दाखिल करते हैं, उसमें आपको सही जानकारी देनी होगी।

साभार- प्रभात खबर-04-08-2019

20 हजार कमर्शियल वाहनों के लिए सरकार लाएगी वन टाइम सेटेलमेंट योजना

परिवहन विभाग कमर्शियल वाहनों पर टैक्स में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना पर विचार कर रहा है। वन टाइम सेटेलमेंट में बकाया टैक्स में एकमुश्त राशि जमा कर वाहन मालिक पुराने सभी बकाया टैक्स से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए विभाग को कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूर करना होगा। विभाग द्वारा पहले भी वन टाइम सेटलमेंट योजना में वाहन मालिकों को राहत देने का काम हुआ है। इसमें विभाग को करोड़ों रुपए बकाया टैक्स की वसूली हुई थी। विभाग द्वारा वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने से लगभग 20 से 25 हजार वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है। जिलों में बकाया टैक्स वाहनों की संख्या अलग–अलग है।

क्या है परेशानी– कमर्शियल वाहनों के पुराना होने पर परिचालन नहीं होने पर भी रोड टैक्स जमा करना पड़ता है। कुछ वाहन मालिक बाद में रोड टैक्स जमा नहीं करते हैं। नतीजा उन पर काफी टैक्स बकाया हो जाता है। ऐसे भी बकाया टैक्स को लेकर टैक्स डिफॉल्टर्स वाहनों की संख्या अलग–अलग है। बकाया टैक्स को लेकर विभाग द्वारा सर्टिफिकेट केस जारी होता है। इसमें वाहन मालिकों द्वारा टैक्स नहीं जमा करने पर कुर्की –जब्ती का प्रावधान है।

योजना से लाभ

योजना के तहत वाहन मालिकों को बकाया टैक्स में लगभग 25 फीसदी जोड़कर भुगतान करना होता है। इसमें वाहन मालिक को अलग से कोई विलंब दंड भुगतान नहीं करना पड़ता है। पुराने वाहन मालिक एकमुश्त टैक्स जमा कर वाहनों का पूर्णनिबंधन करा पाएंगे। विभागीय सूत्र ने बताया कि वन टाइम सेटेलमेंट योजना पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इस पर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी।

साभार, प्रभात खबर 04.08.2019

बिहार में हर साल 20% बढ़ रही विदेशी पर्यटकों की संख्या

बिहार में देसी विदेशी पर्यटकों की संख्या में हर साल 20 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। गया, बोधगया व नालंदा में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक हर वर्ष पहुंच रहे हैं। पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पर्यटकों के लिए पटना, गया और नालंदा में फाइव स्टार होटल बनाया जा रहा है। इसके लिए जगह का चयन कर लिया गया है। बहुत जल्द इंटरनेशनल ग्रुप का चयन होगा। पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव रवि मनु भाई परमार ने कहा कि पर्यटकों के लिए बिहार में कई काम हो रहे हैं। बोधगया को केंद्र सरकार ने आईकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में चयनित किया है। इसे विकसित करने के लिए केंद्र सरकार बोधगया में योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी 2018–19 के पर्यटन राज्य स्कीम से 55 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। विश्व शांति स्तूप का 50वां वार्षिकोत्सव अक्टूबर में होगा। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे।

केंद्र प्रायोजित योजनाः स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बिहार के जैन परिपथ का विकास, कांवरिया परिपथ, मंदार हिल, अंग प्रदेश परिपथ, गांधी परिपथ, बोधगया में कल्चरल सेंटर बहुउद्देशीय प्रकाश केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें काम चल रहा है, और कई योजनाएं 2019 के अंत तक पूरी हो जाएंगी।

यहां बन रहे हैं रोपवे

- राजगीर में रोपवे का काम 2019–20 में पूरा होने का लक्ष्य है।
- बांका मंदार पर्वत, बांका पर रोपवे का निर्माण कार्य चल रहा है।
- रोहतासगढ़ किले पर रोपवे का निर्माण 7 करोड़ 35 लाख रुपए से।
- कैमूर जिला अंतर्गत मुंडेश्वरी पर्वत पर रोपवे का निर्माण 7 करोड़ 35 लाख रुपये से।

पुष्कर्णी झील में होगा पानी

वैशाली जिले में पुष्कर्णी झील पर्यटन स्थल है, जहां पानी नहीं रहता है। यहां पानी लाने के लिए विभाग की ओर से काम चल रहा है, झील से 4 किलोमीटर दूर एक कैनाल से झील तक पानी पहुंचाया जाएगा।

विस्तृत- प्रभात खबर 03.08.2019

पटना–हैदराबाद के बीच गो एयर की सीधी फ्लाइट शुरू

पटना से हैदराबाद के लिए गो एयर की नई फ्लाइट शुरू हो गई। यह विमान रोजाना उड़ान भरेगा।

गो एयर के अनुसार जी 8–515 विमान हैदराबाद से दोपहर बाद 3:40 बजे उड़ान भरेगा और शाम 5:50 बजे पटना हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। फिर यही

फ्लाइट, जी 8–516 बनकर पटना से शाम 6:20 बजे उड़ान भरेगा, और हैदराबाद रात 8:10 बजे लैंड करेगा। सप्ताह में केवल 1 दिन मंगलवार को जी 8–515 विमान हैदराबाद से दोपहर बाद 3:40 बजे की बजाए 3:50 बजे उड़ान भरेगा। हालांकि विमान के पटना पहुंचने के समय और यहां से रवाना होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पटना से हैदराबाद के लिए स्पाइसजेट की एक फ्लाइट पहले से ही ऑपरेट कर रही है।

साभार–हिन्दुस्तान 08.08.2019

बिहटा एयरपोर्ट 2022 तक हो जाएगा तैयार

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बनने वाले बिहटा एयरपोर्ट की डिजाइन तैयार हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया व बिहार सरकार ने इसे स्वीकृति दे दी है। निर्माण के बाद यहाँ बड़े विमान उतार सकेंगे। शुरुआत में एयरपोर्ट 25 लाख सालाना यात्री क्षमता के लायक बनेगा। बाद में 50 लाख सालाना यात्री क्षमता तक विस्तार होगा। उम्मीद है कि वर्ष 2022 तक निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली की एजेंसी सिनर्जी कंसलटेंट ने डिजाइन बनाया है। इसमें बिहटा एयरपोर्ट पर बिहार की समृद्ध विरासत की झलक भी मिलेगी। एयरपोर्ट परिसर के सामने बनने वाले बड़े गार्डन में गोलघर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा की प्रतिकृति बनाई जाएगी। विस्तृत, हिन्दुस्तान 03.08.2019

ई–टिकट पर सर्विस चार्ज से महंगा होगा रेल सफर

आईआरसीटीसी के माध्यम से खरीदा गया ई–टिकट अब महंगा हो जाएगा। दरअसल रेलवे ने करीब 3 साल बाद एक बार फिर से ई–टिकटों पर सर्विस चार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। 3 साल पहले नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इसे हटा लिया गया था।

रेलवे बोर्ड ने भी आईआरसीटीसी के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 3 को जारी एक पत्र में बोर्ड ने कहा है कि रेलवे की खानपान एवं पर्यटन इकाई आईआरसीटीसी ने ई–टिकटों पर सर्विस चार्ज की व्यवस्था की पुनरबहाली के लिए मामलों का विस्तृत अध्ययन किया, जिसका सक्षम प्राधिकार ने परीक्षण भी किया है।

पत्र में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय भी सर्विस चार्ज को फिर से लागू करने के पक्ष में है। उसका कहना है कि सर्विस चार्ज माफ करने की योजना अस्थाई थी। मंत्रालय ई–टिकट पर सर्विस चार्ज फिर से लागू कर सकता है। सर्विस चार्ज हटाए जाने के बाद आईआरसीटीसी को वित्तीय वर्ष 2016–17 में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के राजस्व में 26 फीसदी की गिरावट का सामना करना पड़ा था।

साभार, दैनिक जागरण 10.08.2019

पटना जंक्शन पर मोर्चरी को हटाकर बनाई जाएगी डबल स्टोरीज पार्किंग

जीएम ने दिया निर्देश, 200 से अधिक कारें और 2000 बाइक लगेगी

पूर्व मध्य रेल के जीएम एल.सी. त्रिवेदी ने पटना जंक्शन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लेटफार्म नंबर एक के सर्कुलेटिंग एरिया में स्थित मोर्चरी को जल्द हटाने का निर्देश दिया। मौके पर स्टेशन डायरेक्टर डॉ निलेश कुमार ने बताया कि मोर्चरी जल्द ही करबिगहिया साइड के सेकंड एंट्रेंस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जीएम ने कहा कि मोर्चरी बनाने वाले स्थान के पास डबल स्टोरीज पार्किंग बनेगी। उसमें 200 से अधिक कारें और करीब 2000 बाइक की पार्किंग हो सकेगी। योजना है इसे ग्रीन कॉरिडोर बनाने की। इसके बाद डीजल या पेट्रोल वाले वाहन इस पार्किंग में नहीं आएंगे। सिर्फ इलेक्ट्रिक या बैटरी चालित वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। जीएम ने एक नंबर साइड में ही पूरब तरफ नवनिर्मित एस्केलेटर और निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया। प्लेटफार्म नंबर 2 की लाइन की स्थिति को मजबूत बनाने का निर्देश दिया।

विस्तृत, दैनिक भास्कर 10–08–2019

मनचाहे वाहन नंबर को सितंबर से बोली

कार, बाइक या अन्य गाड़ी के लिए मनचाहे नंबर कि नई व्यवस्था अगले महीने से लागू हो जाएगी। परिवहन विभाग ने मनचाहे नंबर की बढ़ती मांग को देखते हुए नियमों में बदलाव किया है, जिसे पिछले दिनों कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सितंबर से मनचाहे नंबर नए नियम के तहत आवंटित किए जाएंगे। 9 सिर्फ विभाग को अधिक राजस्व प्राप्त होगा बल्कि लोगों को आसानी से मनचाहा नंबर भी मिल सकेंगे। कार, बाइक या अन्य गाड़ियों के लिए मनचाहा नंबर पाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक ही नंबर के लिए एक से अधिक दावेदार होने की स्थिति में बोली लगेगी, और अधिक बोली लगाने वाले को वह नंबर दिया जाएगा।

- **निजी और व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग-अलग बेस रेट**
- **646 नंबरों पर 10 हजार से एक लाख तक का रखा गया है शुल्क**

पांच नंबरों के लिए एक लाख से बोली

0001, 0003, 0005, 0007 एवं 0009 नंबर लेने के लिए दो पहिया वाहन को छोड़कर, सभी निजी वाहन मालिकों को न्यूनतम एक लाख से बोली लगानी होगी। वहीं कमर्शियल के लिए कम से कम 35 हजार का भुगतान करना होगा वहीं, 0002, 0004, 0006, 0008, 0010 सहित अन्य नंबरों के लिए क्रमशः 75 हजार एवं 35 हजार से बोली शुरू होगी।

विस्तृत, हिन्दुस्तान 09–08–2019

2024 में पटरी पर मेट्रो

पटना मेट्रो 2024 में दौड़ने लगेगी। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बोर्ड ने अपनी बैठक में इस संभावना पर बकायदा मुहर लगा दी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ही पटना मेट्रो बनाएगी। बैठक में पटना मेट्रो से जुड़े सभी पक्षों पर लंबी चर्चा हुई। रुपए के इंतजाम, कर्ज लेने, इसे चुकाने, बनाने वाली कंपनी की फीस से लेकर रूट तक की बातें। पटना मेट्रो के लिए 191 पदों को मंजूरी मिली। फिलहाल 30 पदों पर बहाली होगी। दो–तीन दिनों में इन तमाम मसलों में से संबंधित प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की स्वीकृति के लिए जाएगा।

बैठक की अध्यक्षता पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन बोर्ड के अध्यक्ष चैतन्य प्रसाद ने की। इसमें संजय दयाल, मनोज कुमार समेत अन्य विभागों के नोडल पदाधिकारी मौजूद थे। चैतन्य प्रसाद के अनुसार पटना मेट्रो का पहला कॉरिडोर 16.94 किलोमीटर तथा दूसरा कॉरिडोर 14.45 किलोमीटर का होगा। उन्होंने इस पूरी योजना में खर्च होने वाले रुपए, इसके इंतजाम के स्रोत, जायका से लिए जाने वाले लोन की अवधि, चुकाने की शुरुआत का समय। इस पर लगने वाले ब्याज की दर आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 13411 करोड रुपए के इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं।

60 फीसदी लोन लेंगे, 40 फीसदी सरकारें देंगी

- लागत का 20 राज्य सरकार और 20 प्रतिशत केंद्र सरकार देगी।
- कुल लागत का 60 फीसदी हिस्सा जायका से लोन लिया जाएगा।
- लोन 40 साल के लिए होगा, 12 साल बाद इसे चुकाना शुरू होगा।

डीएमआरसी को देना होगा कंसल्टेंसी चार्ज

- पहले कॉरिडोर के लिए 5 परसेंट
- दूसरे कॉरिडोर के लिए 6 परसेंट
- कुल 511.88 करोड़ दिए जाएंगे

कैबिनेट में जाएगा पूरा प्रस्ताव, दो कॉरिडोर मिलाकर 31.39 किलोमीटर लंबाई का रूट

ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर: दानापुर से बस अड्डा, लंबाई 16.94 किलोमीटर जमीन पर एक ही स्टेशन, बाकि अंदर या उपर

16.94 किमी लंबाई	12 स्टेशन
5.8 किमी एलीवेटेड	03 स्टेशन
11.20 किमी अंडरग्राउंड	08 स्टेशन
00.26 किमी ऑनग्राउंड	01 स्टेशन

नर्थ–साउथ कॉरिडोर: पटना जंक्सन से न्यू आईएसबीटी लंबाई 14.45 किमी जमीन पर नही उतरेगी, रहेगी अंदर या बाहर

14.45 किमी लंबाई	12 स्टेशन
09.9 किमी एलीवेटेड	09 स्टेशन
04.55 किमी अंडरग्राउंड	03 स्टेशन

पटना जंक्सन पर अंडरग्राउंड और एलिवेटेड दोनो होंगे।

साभार, दैनिक भास्कर 03.08.2019

ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा कर सकेंगे

पटना नगर निगम क्षेत्र के भू स्वामी और भवन मालिकों को निगम ने ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स भुकतान में एक और सुविधा दी है। ऑनलाइन भुकतान के लिए निगम ने अपने वेबसाइट पर भारत क्यूआर कोड जारी किया है। ऑनलाइन भुकतान के लिए आवेदन करने वाले आवेदक क्यू आर कोड जारी होने के बाद चार तरह से अपना टैक्स का भुकतान कर सकते हैं।

विस्तृत, हिन्दुस्तान 08.08.2019

कब्जाधारी को जमीन पर अधिकार जताने का हक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 07.08.2019 को एक बेहद अहम फैसला दिया है। उसने व्यवस्था दी है की कब्जाधारी व्यक्ति (एडवर्स पैसंजर) उस जमीन या सम्पति का अधिकार लेने का दवा कर सकता है जो 12 वर्ष या उससे अधिक समय से बिना किसी व्यवधान के उसके कब्जे में है।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है की इतना ही नहीं अगर ऐसे व्यक्ति को इस जमीन से बेदखल किया जा रहा है तो वह उसकी ऐसे रक्षा कर सकता है, जैसे वह उसका मूल स्वामी हो। जस्टिस अरुण मिश्रा, एसए नजीर और एम आर साह की पीठ ने यह व्यवस्था देते हुए पूर्व में इस सम्बन्ध में शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ के फैसले को सही कानून नहीं माना और उसे निरस्त कर दिया। लेकिन उन्होंने इस बारे में विभिन्न उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत की पीठ के अलग –अलग दिए गए फैसलों को देखते हुए इस मुद्दे को अंतिम रूप से निर्णित करने के लिए बड़ी बैंच (संविधान पीठ) को रेफेर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की गुरुद्वारा साहिब बनाम ग्राम पंचायत श्रीथला (2014), उत्तराखंड बनाम मंदिर श्री लक्ष्मी सिद्ध महाराज (2017) और धर्मपाल बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड (2018) में दिए गए फैसलों को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा की ये फैसले सही कानून का प्रतिपादन नहीं करते।

साभार, हिन्दुस्तान 08.08.2019

ट्रांसपोर्टनगर स्मार्ट सिटी में शामिल, जलजमाव से मिलेगी निजात, नहीं दिखेगा बिजली का तार

बाईपास स्थित ट्रांसपोर्ट नगर को स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों पैसा देगी। वहां रहने वाले दो लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अब तक किसी कॉलोनी, वार्ड या मोहल्ले को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया था। ट्रांसपोर्ट नगर के विकास के लिए एक माह पहले सर्वे शुरू किया गया है। जहाँ की जर्जर सड़कों को तोड़ कर स्मार्ट बनाया जायेगा। बिजली के तार को जमीन के अंदर किया जायेगा। दो माह में सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद डीपीआर तैयार करके विभाग को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रांसपोर्ट नगर के अलावा आस पास के मोहल्लों और कॉलोनियों के लोगों के लिए खाने पीने, सब्जी, फल और अन्य सामग्री के लिए भूतनाथ रोड के पास वेंडिंग जोन का निर्माण होगा। यहीं 200 से अधिक वेंडर दुकान लगा सकेंगे। वार्ड नंबर 55 और 46 के बीच हाउसिंग बोर्ड के जमीन खाली हैं। इसी जमीन पर वेंडिंग जोन बनेगा।

विस्तृत, दैनिक भास्कर 05.08.2019

नाला रोड बनेगा ट्रैफिक फ्री जोन

नाला रोड ट्रैफिक फ्री जोन बनेगा। ट्रैफिक एसपी अजय कुमार पांडेय ने बताया कि बेली रोड और अनिसाबाद चितकोहरा रोड के ट्रैफिक परिचालन को सुगम बनाने के बाद ट्रैफिक पुलिस राजधानी के कुछ ऐसे क्षेत्रों को ट्रैफिक फ्री जोन घोषित करेगी, जहां पार्किंग नहीं है। पटना में ऐसी 16 सड़कें और बाजार हैं, जहां वाहनों को पार्क करने की बिल्कुल जगह नहीं है। ऐसे में वहां आने–जाने वाले लोग दुकानों के सामने की सड़क पर वाहन लगाते हैं। जिससे सड़कें संकरी हो जाती हैं और बराबर जाम लगता है। इससे निबटने के लिए ही ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे क्षेत्रों को ट्रैफिक फ्री जोन घोषित करने की योजना बनायी है। हालांकि इसमें दो महीने का समय लग सकता है।

हाइकोर्ट ने भी दिया था सुझाव: पिछले दिनों शहर के जाम की समस्या पर सुनवाई करते समय हाइकोर्ट ने भी ऐसे क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश को रोकने और उन्हें दूर स्थित पार्किंग स्थल पर खड़े 'करने की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था। नाला रोड को इसके अंतर्गत सबसे पहले ट्रैफिक फ्री जोन घोषित किया जायेगा, क्योंकि वहां वाहनों की पार्किंग की समस्या सबसे अधिक है। वहां सड़क के दोनों तरफ दुकानों की श्रृंखला है। सामने के फुटपाथ के एक बड़े हिस्से पर भी दुकानदार अपने सामानों को फैला कर उस पर काबिज हो चुके हैं। ऐसे में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों के पास सड़क पर वाहन खड़ा करने के सिवा कोई चारा नहीं होता है।

साभार, प्रभात खबर 03.08.2019

एक सितंबर से प्रदूषण फैला रहे ईंट भट्ठों पर पाबन्दी

राज्य में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के मकसद से शुक्रवार 02.08.2019 को हुई बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 104वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि एक सितंबर से राज्य के अंदर स्वच्छतर (न्यूनतम प्रदूषण) तकनीक पर आधारित ईंट–भट्ठों को ही स्थापना व संचालन की अनुमति दी जायेगी। राज्य में मौजूदा सभी ईंट–भट्ठा इकाइयों को 31 अगस्त, 2017 और उसके बाद 31 अगस्त, 2018 तक उन्नत व स्वच्छतर तकनीक में परिवर्तित कर लेने के निर्देश दिये थे। हालांकि, उसके बाद भी कुछ ईंट–भट्ठा मालिकों ने निर्धारित समय सीमा में स्वच्छतर तकनीक नहीं अपनायी। अतः राज्य में वायु की गुणवत्ता की स्थिति को देखते हुए व पटना उच्च न्यायालय की तरफ से पारित एक आदेश के आलोक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में पुरानी तकनीक पर संचालित सभी ईंट निर्माण इकाइयों को निर्देशित किया है कि वे पुरानी तकनीक पर आधारित अपने ईंट–भट्ठा इकाई को 31 अगस्त तक स्वच्छतर या न्यूनतम प्रदूषण वाली तकनीक में परिवर्तित कर लें। अगर निर्धारित तिथि के बाद भी ऐसी ईंट–भट्ठा इकाइयों के तकनीक में परिवर्तित नहीं किया जाता है तो उन पर कार्रवाई होगी। साभार, प्रभात खबर 03–08–2019

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बिहार में सीएनजी पर जोर

बिहार सरकार राज्य में सभी बसों को सीएनजी में तब्दील करने पर विचार कर रही है। हालांकि शुरुआत में राज्य पथ परिवहन निगम की बसें सीएनजी से चलाई जाएंगी। माना जा रहा है कि इससे राज्य के प्रमुख शहरों में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

बिहार में कई शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। राज्य के पटना, गया और मुजफ्फरपुर शहर दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने अब स्वच्छ ईंधनों की तलाश शुरू कर दी है। राज्य में बैटरी चालित वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जन परिवहन के लिए बसों को भी सीएनजी में तब्दील करने पर विचार हो रहा है। इस बारे में परिवहन विभाग दिल्ली और मुंबई में सीएनजी बसों पर एक अध्ययन भी करवा रहा है। इस अध्ययन के आधार पर एक योजना तैयार की जाएगी। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो एक निर्धारित सीमा में सभी बसों में सीएनजी किट लगाए जाएंगे।

शुरू में पटना में 10–15 सीएनजी बसों का परिवहन शुरू किया जाएगा। इन्हें पटना में अलग–अलग मार्गो पर चलाया जाएगा। करीब छह महीनों के बाद खर्च, सुविधा और फायदे का पूरा आकलन किया जाएगा। इसके बाद पटना में सीएनजी बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसके बाद दूसरे शहरों मे भी सीएनजी बसों का परिचालन होगा। नगर बसों के आधार पर राज्य पथ परिवहन निगम की लंबी दूरी की बसों को भी सरकार सीएनजी में तब्दील करने पर विचार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नगर बसों को शुरुआती वर्ष में सीएनजी में तब्दील किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 से 3 वर्षों में उन शहरों में सीएनजी बसों का परिचालन शुरू होगा, जहां सीएनजी तंत्र मौजूद होगा।

साभार, बिजनेस स्टैंडर्ड 08.08.2019

राहत : नक्शे अब 60 की जगह 30 दिन में पास होंगे

भवन निर्माण को नक्शा स्वीकृति का इंतजार नहीं

राज्य में अब 300 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निर्माण के लिए नक्शे की स्वीकृति का इंतजार नहीं करना होगा। यह बदलाव आवासीय और औद्योगिक दोनों श्रेणी के लिए होगा। वहीं अन्य सभी नक्शे अब 60 की जगह 30 दिन में पास होंगे। तमाम बिल्डरों, वास्तुविदों और इंजीनियरों को रिहायशी और व्यावसायिक प्रोजेक्टों के निर्माण के लिए अलग–अलग निकायों में पंजीकरण नहीं कराना होगा। अब उनके पंजीकरण की व्यवस्था राज्यस्तर पर होगी। वहीं 19 मीटर से ऊंची इमारतों का नक्शा 40 फुट चौड़ी रोड पर भी स्वीकृत हो सकेगा। बिहार भवन उपविधि में होने वाले इन बड़े बदलावों का प्रस्ताव तैयार है। कैबिनेट की मुहर लगते ही इन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा।

छोटे प्लाट वालों को फायदा : बिहार भवन उपविधि संशोधन–2019 के नाम से तैयार नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव में कई बदलाव शामिल हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और केंद्र के मॉडल बिल्डिंग बायलॉज–2016 को ध्यान में रखते हुए यह परिवर्तन किए जा रहे हैं। छोटे प्लाट वालों को नए बदलाव के बाद बड़ी राहत मिलेगी। 300 वर्गमीटर तक के भूखंड पर नक्शों को राज्य सरकार ट्रस्ट एंड वेरीफाई के आधार पर स्वीकृति

देगी। यानी भूखंड स्वामी द्वारा नक्शा और फीस जमा करने के साथ ही निर्माण शुरू कराया जा सकेगा। पहले ये सिर्फ आवासीय भवनों के लिए था, किन्तु अब औद्योगिक भवनों के लिए भी यह व्यवस्था होगी। पंद्रह दिनों के बाद निरीक्षण के दौरान यदि कमी नहीं मिली तो नक्शा स्वीकृत माना जायेगा। बड़े नक्शों के लिए भी सिंगल विंडो सिस्टम प्रणाली लागू होगी। सभी प्रकार के नक्शों को पास करने के लिए पहले 60 दिन की समय सीमा थी, उसे अब घटा कर 30 दिन किया गया है।

बिल्डरों, इंजीनियर–आर्किटेक्ट का राज्यस्तर पर निबंधन

बदलाव से राज्य के तमाम बिल्डरों, अभियंताओं और आर्किटेक्ट को बड़ी राहत मिलेगी। निकायों में व्यक्तिगत निबंधन की जगह अब राज्यस्तर पर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए उनका निबंधन होगा। इसके अलावा भी कई और बदलाव किए गए हैं। इनको वित्त एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

ग्रीन बिल्डिंग पर जोर

बदलावों में ग्रीन बिल्डिंग यानी भवनों में हरियाली और कई अन्य चीजों को प्राथमिकता देनी होगी। इसमें पानी का पुनः उपयोग, छत पर सोलर एनर्जी सिस्टम स्थापित करना, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन रेटिंग सिस्टम, सार्वजनिक भवनों मसलन मॉल आदि में पब्लिक टॉयलेट, विकलांगों–बुजुर्गों व बच्चों के लिए रैंप आदि को जरूरी किया जा रहा है।

कम चौड़ी सड़कों पर भी बन सकेंगे ऊंचे भवन

राज्य में कम चौड़ी सड़कों पर ऊंची इमारतों के निर्माण का रास्ता भी अब साफ हो जाएगा। हालांकि इसमें ग्राउंड कवरेज के कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। 60 मीटर की बाध्यता को खत्म करते हुए 40 फुट चौड़ी सड़क पर 19 मीटर से ऊंची बिल्डिंग का नक्शा तो स्वीकृत हो जाएगा, मगर कुल प्लाट एरिया के 40 प्रतिशत पर ही निर्माण किया जाएगा। बाकी 60 प्रतिशत पार्किंग, हरियाली आदि के लिए छोड़ना होगा। इसमें अलग–अलग स्लैब होंगे।

साभार, हिन्दुस्तान 02–08–2019

अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक का मसौदा तैयार

प्लास्टिक कैरी बैग के बाद बिहार सरकार अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने जा रही है। सरकार ने इस पर पाबंदी लगाने से पहले 16 अगस्त तक आम लोगों से इ–मेल से आपत्तियां मांगी है। आपत्तियां पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने मांगी है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए राज्य सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है।

आपत्तियों के अध्ययन के बाद संभवतः सितंबर तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने के संबंध में कारोबारी वर्ग की आपत्तियां या सुझाव खास होंगे। दरअसल सरकार की योजना एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक विशेषकर थर्मोकोल पर रोक लगाने की है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी के लिए सुझाव मार्च, 2019 में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति में आया था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इन सुझावों को सरकार को भेज दिया था। इसके बाद शासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर में चरणवार हटाने का मसौदा तैयार किया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक

सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक की एक सामान्य लेकिन खतरनाक केटेगरी है। इसमें कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतल, ठंडे पानी की प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक जार, ओवन–ट्रे, डिटर्जेंट और क्लीनर कंटेनर इत्यादि शामिल हैं। इस तरह के प्लास्टिक का लंबे समय तक उपयोग करना हानिकारक हो सकता है। यदि लंबे समय तक इन कंटेनर्स में कोई द्रव रखा जाये तो एंटीमनी नाम का एक पदार्थ रिसने लगता है। यह द्रव गर्म और बंद जगह में रखे कंटेनर में ज्यादा रिसता है। महाराष्ट्र और दिल्ली में कानून लागू हो चुका है। मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम लागू करने जा रहे हैं।

प्रभावी प्रयास

बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विश्लेषक एस एन जायसवाल ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी के लिए सरकार प्रभावी प्रयास करने जा रही है। इसके लिए आपत्तियां मांगी जा रही हैं। इसके बाद इस तरह के प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। साभार, प्रभात खबर 02.08.2019

विदेशों से आ रहा 1,21,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा

भारत में कंपनियों और पुनर्चक्रण कार्य से जुड़ी इकाइयों द्वारा 1,21,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा बड़ी होशियारी से भारत आयात किया जा रहा है जिससे प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने का प्रयास प्रभावित हो रहा है।

एनजीओ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह बात कही गई है। अध्ययन के मुताबिक इसमें से भारत में 55 हजार मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रहा है। इसमें कहा गया, 55 हजार मीट्रिक टन कचरा पाकिस्तान और बांग्लादेश से संयुक्त रूप से आ रहा है। पश्चिम एशिया, यूरोप और अमेरिका सहित 25 से अधिक देशों से प्लास्टिक कचरे का आयात हो रहा है। अध्ययन के मुताबिक भारतीय पुनर्चक्रण इकाइयां और प्लास्टिक कंपनियां इस्तेमाल की गई पीईटी (पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेट) प्लास्टिक बोतलों को बड़ी होशियारी से महीन कचरे के रूप में आयात कर रही हैं। वहीं, रोजाना पैदा हो रहे टनों प्लास्टिक कचरे का निस्तारण नहीं हो रहा है और यह सागरों तथा लैंडफिल में डंप किया जा रहा है। यह अध्ययन अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 के बीच किया गया। अध्ययन के मुताबिक 19 हजार मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक कचरा दिल्ली में आयात किया जा रहा है। अध्ययन में इस बढ़ते आयात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि यह प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों को बाधित कर सकता है। साभार, राष्ट्रीय सहारा 01.08.2019

बिल्डर के दिवालिया होने पर भी नहीं डूबेगी खरीदारों की रकम

घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वित्तीय कर्जदाता का दर्जा बरकरार

घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) में संशोधन वाले कानून को सही ठहराते हुए घर खरीदारों को वित्तीय कर्जदाता का मिला दर्जा बरकरार रखा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी खुद को दिवालिया घोषित करती या होती है, तो उसकी संपत्ति की नीलामी से हासिल रकम में घर खरीददारों को भी हिस्सा मिलेगा। आइबीसी में संशोधन कायम रहने से मकान ग्राहकों को भी कंपनी के फाइनशियल क्रेडिटर्स यानी वित्तीय कर्जदाता के बराबर का दर्जा बरकरार रहेगा। यानी घर खरीदने वालों की अहमियत बिल्डर को लोन देने वाले बैंकों के बराबर होगी। इस कानून के खिलाफ 180 से ज्यादा रियल एस्टेट कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जहां कहीं भी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट यानी रेरा और आइबीसी की किन्हीं धाराओं में आपसी विवाद की स्थिति पैदा होगी, वहां आइबीसी के नियम मान्य होंगे।

विस्तृत, दैनिक जागरण 10–08–2019

विकास दर में बंगाल अव्वल, बिहार पहुंचा तीसरे स्थान पर

घरेलू और वैश्विक कारणों के चलते देश की विकास दर भले ही पांच साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई हो लेकिन राज्यों को आर्थिक वृद्धि दर की रफ्तार बरकरार है। वित्त वर्ष 2018–19 में चार राज्यों के जीएसडीपी (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) की सालाना वृद्धि दर दस फीसद से ऊपर रही है।

अब तक पिछड़ते रहे पश्चिम बंगाल ने वित्त वर्ष 2018–19 में 12.58 प्रतिशत विकास दर हासिल की है जो सभी राज्यों में सर्वाधिक है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए विकास दर के आंकड़े संबंधित प्रदेश सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय से जुटाकर अपनी वेबसाइट पर जारी किये हैं। पश्चिम बंगाल की विकास दर 12.58 प्रतिशत रही है जो सब राज्यों में सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर 11.02 प्रतिशत रहा है। इसी तरह तीसरे नंबर पर रहे बिहार ने भी 10.53 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है। वित्त वर्ष 2017–18 में भी बिहार की विकास दर दहाई के अंक में थी।

राज्य	विकास दर				
पश्चिम बंगाल	12.58	दिल्ली	8.61	मध्य प्रदेश	7.04
आंध्र प्रदेश	11.02	ओडिशा	8.26	झारखंड	6.99
बिहार	10.53	हरियाणा	8.19	उत्तराखंड	6.87
तेलंगाना	10.50	तमिलनाडु	8.17	उत्तर प्रदेश	6.46
कर्नाटक	9.53	हिमाचल प्रदेश	7.34	छत्तीसगढ़	6.08
पुडुचेरी	8.68	राजस्थान	7.33	पंजाब	5.91
		सिक्किम	7.05	गोवा	0.47

साभार, दैनिक जागरण 10.08.2019

रोड काटने पर प्रति मीटर दो हजार शुल्क लगेगा

पटना नगर निगम क्षेत्र में बेतरतीब ढंग से सड़क काटने की कार्रवाई पर अंकुश लगाया जाएगा। इसके लिए पटना नगर निगम ने रोड कटिंग विनियमन (रेगुलेशन) 2019 तैयार किया है। रेगुलेशन के अनुसार अब सरकारी और गैरसरकारी संगठनों को रोड और फुटपाथ काटने से पहले नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य हो जाएगा। निगम सूत्रों के अनुसार तैयार प्रस्ताव में रोड काटने के इच्छुक संगठन को प्रशासनिक शुल्क एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर की दर से जमा करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सड़क की प्रकृति के अनुसार प्रतिमीटर रोड कटाई शुल्क भी वसूला जाएगा। कंक्रीट और बिटुमिनस सड़कों का कटाई शुल्क लगभग दो हजार और ढाई हजार रुपये प्रतिमीटर की दर से प्रस्तावित किया गया है।

रेगुलेशन में फुटपाथ कटिंग के लिए एक हजार रुपये प्रतिमीटर देना होगा। न्यूनतम 250 रुपये प्रतिमीटर कटिंग शुल्क प्रस्तावित है। रोड काटने वाली कंपनी या संगठन को यह बताना होगा कि रोड कटिंग का काम कितने समय में पूरा होगा। प्रस्तावित रोड कटिंग रेगुलेशन आगामी मंगलवार को पटना नगर निगम की होनेवाली सशक्त स्थायी समिति की बैठक में विमर्श के लिए रखा जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी से प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे नगर विकास एवं आवास विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

साभार, हिन्दुस्तान 10-08-2019

50 करोड़ कामगारों को मिलेगा तय न्यूनतम वेतन

मजदूरी संहिता विधेयक राज्यसभा से भी हो गया पारित

राज्यसभा ने मजदूरी संहिता विधेयक को पारित कर दिया। इसमें देश के 50 करोड़ कामगारों को न्यूनतम मजदूरी के साथ महिलाओं को पुरुषों के समान मजदूरी देने की व्यवस्था की गई है। बिल के पक्ष में 85 और विरोध में केवल आठ वोट पड़े। लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। इसमें न्यूनतम मजदूरी और बोनस से संबंधित पुराने श्रम कानूनों का विलय कर उन्हें समय के अनुसार प्रासंगिक और पारदर्शी बनाया गया है। 40 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर चार श्रम संहिताओं में बदलने की कड़ी में यह पहली संहिता है। अभी तीन संहिताओं के बिल और लाए जाने हैं।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा यह एतिहासिक विधेयक है, जिसमें 50 करोड़ कामगारों को न्यूनतम और समय पर मजदूरी देने को वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें मजदूरी संहिता विधेयक, 2019 के जरिये वेतन भुगतान विधेयक 1936, न्यूनतम वेतन एक्ट 1948, बोनस एक्ट 1965 तथा समान परिलब्धियां अधिनियम, 1976 का विलय किया गया है। बिल में स्थायी समिति के 24 में से 17 सुझावों को शामिल किया गया है। बता दें कि मजदूरी संहिता बिल को सबसे पहले अगस्त, 2017 में लोकसभा में पेश किया गया था, जहां से उसे समीक्षा के लिए स्थायी संसदीय समिति को भेज दिया गया था। समिति ने दिसंबर 2018 में रिपोर्ट दी थी, लेकिन 16वीं लोकसभा के भंग होने से बिल लैप्स हो गया था। चुनाव के बाद सरकार ने नए सिरे से बिल को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास कराया है।

त्रिपक्षीय समिति तय करेगी न्यूनतम वेतन

न्यूनतम वेतन की आधारभूत दर का निर्धारण ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों वाली त्रिपक्षीय समिति करेगी। जरूरी होने पर समिति को तकनीकी समिति के गठन का भी अधिकार होगा। न्यूनतम वेतन पाना प्रत्येक मजदूर का अधिकार होगा और वो सम्मानजनक जीवन जी सकेगा। बिल में मासिक, साप्ताहिक अथवा दैनिक आधार पर सभी क्षेत्रों के मजदूरों पर निश्चित तिथि पर वेतन देना जरूरी कर दिया गया है।

साभार, दैनिक जागरण 03.08.2019

छोटे-बड़े उद्योगों में लगभग 14 लाख मजदूर कर रहे काम

चार लाख लोगों को इएसआइ का लाभ नहीं

राज्य में दस हजार निबंधित उद्योगों में कार्यरत 14 लाख मजदूरों में चार लाख से अधिक को इएसआइ का लाभ नहीं मिल पा रहा। श्रम संसाधन विभाग वैसे उद्योगों पर कार्रवाई करने के लिये निगरानी कर रहा है जो श्रम कानून के तहत मजदूरों को इस तरह के लाभ नहीं दे रहे हैं। विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक श्रम कानूनों के तहत मजदूरों को बहुत से लाभ देने का प्रावधान है, लेकिन छोटे-बड़े उद्योग मजदूरों की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं।

श्रम कानूनों के तहत अवैध उद्योग चलाने वालों पर दो लाख का जुर्माना: श्रम संसाधन विभाग से फैक्ट्री एक्ट के तहत सभी लोगों को फैक्ट्री का निबंधन कराना है। अगर किसी भी छोटे उद्योग में 10 या उससे अधिक व्यक्ति काम कर रहे हों, तो उस उद्योग को चलाने वालों की जिम्मेदारी है कि सभी मजदूरों को इएसआइसी से जोड़ा जाये। ऐसा नहीं करने वाले अवैध उद्योग चलाने वालों की लिस्ट में डालकर उनपर कार्रवाई की जायेगी। उद्योग चलाने वालों से दो लाख का जुर्माना के साथ कम से कम छह माह का जेल का नियम है।

ईंट-भट्टे व असंगठित मजदूरों पर विशेष निगरानी : विभाग के अधिकारी ईंट-भट्टे व असंगठित मजदूरों पर विशेष निगरानी रखेंगे। बिहार के उन सभी ईंट भट्ठों पर काम करने वाले महिला व पुरुष को कितना पैसा काम के बदले मिल रहा है और भट्टे के मालिक उनके लिए कानून के तहत क्या सुविधाएं दे रहे है।

मजदूरों के लिए ये सुविधाएं जरूरी:

- मजदूरों का मेडिकल जांच किया जाये.
- सेफ्टी ऑफिस करे.
- महिला व पुरुषों के लिये अलग-अलग बाथरूम
- कैंटीन
- 10 या उससे अधिक मजदूर वाले उद्योगों को इएसआइसी से जोड़ा जाये
- मजदूरों को पैसा मिलने में परेशानी या कितना मिल रहा है.

साभार, प्रभात खबर 10-08-2019

हर 50 किलोमिटर पर मिलेगी एम्बुलेंस की सेवा

सड़क दुर्घटना से हो रही मौतों की संख्या कम करने के लिए हरेक 50 किलोमीटर पर एक मेडिकल एम्बुलेंस होगी। यह एम्बुलेंस सड़क दुर्घटना में हताहतों को नजदीक के अस्पतालों में पहुंचाएगी। सरकार की ओर लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में हर साल औसतन 5 हजार लोगों की मौत हो रही है। केवल पटना में ही 475 से अधिक मौतें हो रही हैं। सड़क की गुणवत्ता बेहतर होने के कारण अधिक स्पीड, कम उम्र में ड्राईविंग के कारण आए दिन कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटना के बाद पीड़ितों को अस्पताल तक पहुँचाने में देरी होती है। इस कारण मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। दुर्घटना रोकने के लिए सड़क सुरक्षा पर सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि नेशनल व स्टेट हाईवे पर मेडिकल एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस एम्बुलेंस में घायलों को प्राथमिक उपचार की सुविधा रहेगी। सुचना मिलने के बाद यह एम्बुलेंस घटनास्थल पहुँचेगी और बिना देरी घायलों को नजदीक के अस्पताल पहुंचाएगी।

विस्तृत, हिन्दुस्तान 06.08.2019

कोसी-मेची नदी जोड़ को हरी झंडी

एक ओर बाढ़ तो दूसरी तरफ सिंचाई के लिए पानी की समस्या से जूझ रहे बिहार के लिए अच्छी खबर है। बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ योजना पर केंद्रीय वन मंत्रालय की मुहर लग गई। इसी के साथ कोसी-मेची नदी जोड़ योजना की सारी बाधाएं दूर हो गई।

यह मामला राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण से डाटा नहीं मिलने के कारण लंबित था। राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने खुद केंद्रीय मंत्री से मिलकर यह डाटा उपलब्ध कराया और मंत्रालय ने इसे हरी झंडी दे दी। खास बात यह है कि इसे राष्ट्रीय योजना घोषित करने की वकालत भी केंद्र के सामने राज्य सरकार ने कर दी। योजना के धरातल पर उतरने पर न सिर्फ कोसी और सीमांचल इलाके में बाढ़ की परेशानी कम होगी, बल्कि इससे 2 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन की सिंचाई भी हो सकेगी। उत्तर बिहार एवं सीमांचल के लाभ की ये योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन है।

विस्तृत, हिन्दुस्तान 03.08.2019

PT.GPO/R-10/NP-15/2017-19 R. N. 4211/62

चैम्बर में कारोबारियों को दी गई कर दाता ई–सहयोग अभियान की जानकारी

ऑनलाइन रिटर्न भरने और रिफंड के जाने तरीके

• दाखिल रिटर्न का रिफंड जल्द होने की प्रक्रिया बतायीं • डिजिटाइजेशन से लोगों को कतार से मिलेगा छुटकारा

परिचर्चा को संबोधित करते प्रधान आयकर आयुक्त श्री के.के. श्रीवास्तव। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः संयुक्त आयकर आयुक्त श्री रोहित राज एवं आयकर पदाधिकारी श्री अभय राजवार। दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन.के. ठाकुर, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आयकर विभाग की ओर से बुधवार 28 अगस्त 2019 को आयकर पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। आयकर विभाग की ओर से प्रारंभ किये गए कर दाता ई–सहयोग अभियान 2019 के संबंध में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई।

आयकर विभाग के सहायक निदेशक सौरभ राव ने रिटर्न फाइल करने की स्टेप बाई स्टेप जानकारी दी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिटर्न फाइल करने के साथ ही दाखिल किये गए रिटर्न का रिफंड जल्द होने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया। कहा कि इसकी खासियत है कि यह सेवा 24 घंटे चालू रहती है, इसलिए कारोबारी जब चाहें रिटर्न फाइल कर सकते हैं। डिजिटल माध्यमो की जानकारी रहने से कई कार्य आसान हो जायेंगे। लगातार कई चीजें डिजिटल की जा रही है, ताकि कारोबारियों को कतार में लगने से छुटकारा मिले। इससे समय की बचत होती है।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने परिचर्चा मे शामिल अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया की परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसाइयों को आयकर विभाग द्वारा प्रारंभ की गई करदाता ई–सहयोग अभियान 2019 की जानकारी देना है ताकि अधिक कारोबारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना रिटर्न फाइल कर सकें। आयोजन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा की इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन राज्य के सभी भागों में कराया जाना चाहिए।

इससे राज्य के हजारों कारोबारियों को टैक्स रिटर्न फाइल करने में सहूलियत हो जाएगी। परिचर्चा में आयकर के प्रधान आयकर आयुक्त के. के. श्रीवास्तव, संयुक्त आयकर आयुक्त रोहित राज और आयकर पदाधिकारी अभय राजवार ने भी अभियान के बारे में बताया।

अधिकारियों ने कहा की सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने के जरुरत है। अगर कोई सुझाव हो तो उससे भी अवगत कराएं ताकि व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग मिले। मौके पर चैम्बर के उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर, विशाल टेकरीवाल, सुभाष कुमार पटवारी, ए. के. पी. सिन्हा, गणेश कुमार खेतड़ीवाल, राजेश खेतान, सुनील सराफ, मनोज आनंद, राजीव अग्रवाल, सुबोध जैन, सच्चिदानंद, पशुपति नाथ पण्डेय, सांवल राम ड्रोलिया, रंजीत सिंह समेत अन्य लोग रहे। कार्यक्रम के आखिर में धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर के महामंत्री अमित मुखर्जी ने किया।

साभार, हिन्दुस्तान 29.08.2019

किरायेदार रख रहे हैं तो हो जाएं होशियार

यह खबर नहीं है, एक दस्तक है उस खतरे की जो आपके इर्द–गिर्द रहता है। जिसे आप देखकर भी अनदेखी कर देते हैं। जी हां, फैमली के बाद आपके सबसे करीबी रहने वाले नौकर और किराएदार। हाल ही में पटना में हुई कुछ घटनाएं इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे कोई अपराधी आपका भरोसा जीतकर आपके मकान में रह रहा है। पटना की आबादी 25 लाख से ज्यादा है। लेकिन पुलिस के पास किराएदारों का वेरिफिकेशन महज 20 हजार ही है। डीजे आई नेक्स्ट ये नहीं कह रहा है कि सभी किराएदार चोर, हत्यारे और लुटेरे होते हैं। 90 फीसदी किराएदार सही होते हैं लेकिन 10 फीसदी बेईमान किराएदारों को ढूंढना बेहद जरूरी है।

विस्तृत, आई नेक्स्ट 01.08.2019

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by: ACG # 9308496365